



लोकहितार्थं सत्यनिष्ठा
Dedicated To Truth in Public Interest

कार्यालय

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड,
देहरादून

उत्तराखण्ड राज्य के वन/जलागम प्रभागों की
कार्यप्रणाली पर वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन

वर्ष 2024-25


विषय सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	प्रस्तावना	2
2.	महत्वपूर्ण बिन्दु	3
3.	संस्तुतियां	4-5
4.	परिचयात्मक	6
5.	संरचना	7
6.	भाग-प्रथम	8-15
7.	द्वितीय- भाग	16
8.	परिशिष्ट 1 से 17	17-78

प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के स्थायी आदेशों की पुस्तिका (लेखा एवं हकदारी) खण्ड-I के प्रस्तर 9.10 के प्रावधान के अनुसार इस कार्यालय द्वारा प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए वन विभाग एवं जलागम परियोजना के प्रभागों की कार्य प्रणाली पर वार्षिक समीक्षा तैयार की जाती है एवं अनुवर्ती वित्त वर्ष के 31 दिसम्बर तक राज्य सरकार को भेज दी जाती है। इस समीक्षा का उद्देश्य उत्तराखण्ड राज्य के वन विभाग एवं जलागम परियोजना के प्रभागों के लेखों के रख-रखाव एवं लेखांकन में परिलक्षित अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं सामान्य प्रकृति की त्रुटियों को इंगित करके उनमें आवश्यक सुधार करना है। इसके अतिरिक्त इसमें लेखा परीक्षा कार्यालय द्वारा लेखा परीक्षा में यदि महत्वपूर्ण अनियमितताएं पायी जाती हैं तो उनको भी सम्मिलित किया जाता है। वन विभाग के लेखा कर्मचारियों द्वारा मासिक लेखे तैयार करने में आवश्यक लेखा नियमों, प्रणालियों की पर्याप्त जानकारी के अभाव में लेखा या तो पूर्ण रूप से तैयार नहीं किये जाते हैं या तैयार भी किये जाते हैं तो उनकी गुणवत्ता उच्च स्तरीय नहीं होती है, इसलिए वन विभाग एवं जलागम परियोजना के प्रभागों द्वारा लेखा संधारण में अभी भी सुधार की सम्भावनायें हैं।

मैं आशा करता हूँ कि यह प्रतिवेदन उत्तराखण्ड राज्य के वन विभाग एवं जलागम परियोजना के लेखा कर्मचारियों/अधिकारियों को लेखांकन की त्रुटियों के प्रति सचेत करने तथा भविष्य में नियमानुसार कार्य सम्पादित करने की दृष्टि से मार्गदर्शन करने में उपयोगी सिद्ध होगा।


(मो० परवेज़ आलम)

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड

दिनांक: 19.12.2025

स्थान: देहरादून

महत्वपूर्ण बिन्दु

प्रथम भाग लेखा

1. राज्य में वन एवं जलागम प्रभागों में **IFMS** प्रणाली लागू किया जाना (प्रस्तर-1)।
2. ऐसे वन प्रभाग जिनके द्वारा संपूर्ण मासिक लेखों को प्रेषित ही न किया जाना एवं प्रभागों द्वारा मासिक लेखे विलम्ब से भेजा जाना (प्रस्तर-2)।
3. वन प्रभागों द्वारा त्रैमासिक लेखा मिलान पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिये प्रभागीय अधिकारियों द्वारा वास्तविक व्यय पर सतत दृष्टि का अभाव (प्रस्तर-3)।
4. मासिक लेखों के साथ वर्गीकृत सार की मूल प्रति न भेजा जाना तथा सार के अन्त में निर्धारित प्रमाण-पत्र अंकित न किया जाना (प्रस्तर-4)।
5. माह के दौरान निर्गत **e-payment** के सापेक्ष भुगतान के पश्चात् अवशेष **e-payment** का विवरण उपलब्ध नहीं कराया जाना (प्रस्तर-5)।
6. वन प्रभागों के संवितरकों अधिकारी/अधिनस्थ कर्मचारी को दिये गये अग्रिम धनराशि का समायोजन /वसूली न किया जाना (प्रस्तर-6)।
7. मासिक लेखे के साथ प्रेषित आय तथा व्यय के वर्गीकृतसार ई-11 प्रगामी आय व्यय पत्रक ई-7 एवं अनुसूचियों /प्रमाणकों पर लेन देनों से सम्बन्धित लेखाशीर्षों का पूर्ण विवरण न अंकित किया जाना (प्रस्तर-7)।
8. मासिक लेखों के साथ सी०सी०एल०/डी०सी०एल० पासबुक संलग्न न किया जाना (प्रस्तर-8)।
9. मासिक लेखों के साथ वन जमा के आय/व्यय प्रपत्र ई-23 संलग्न न किया जाना (प्रस्तर-9)।
10. मासिक लेखाओं में पायी गई अन्य त्रुटियाँ (प्रस्तर-10)।
11. संकलित मासिक लेखे में अनावश्यक रूप से आयकर, स्टाम्प ड्यूटी तथा बिक्री कर तथा जी०एस०टी० को दिखाया जाना (प्रस्तर-11)।
12. वित्तीय वर्ष 2024-25 में वन विभाग के सामान्य भविष्य निधि के अंतिम भुगतान/नवीन आवंटन प्रकरणों के सम्बन्ध में (प्रस्तर-12)।

द्वितीय भाग लेखापरीक्षा

1. लेखापरीक्षा के दौरान पायी गयी अनियमितताएँ।

संस्तुतियाँ

महालेखाकार (लेखा एवं हक०) कार्यालय द्वारा तैयार किये जाने वाले राज्य के वित्त एवं विनियोजन लेखों में वन विभाग एवं जलागम परियोजना के व्यय एवं प्राप्ति के यथार्थ एवं सही आंकड़े सम्मिलित होने चाहिए। इस दृष्टि से प्रभागों द्वारा प्रेषित किये जाने वाले संकलित/कोषागार द्वारा प्रेषित मासिक लेखों की समीक्षा की जाती है और प्रकाश में आये परिणामों से सम्बन्धित प्रभागों को समय-समय पर अवगत कराया जाता है। इसी क्रम में खण्डों के लेखों में सुधार एवं गुणवत्ता में वृद्धि की दृष्टि से राज्य शासन/विभागाध्यक्ष द्वारा वन विभाग एवं जलागम परियोजना के अधिकारियों को निम्नलिखित अनुदेश जारी किये जाने हेतु प्रस्तावित है:-

1. कार्यालय महालेखाकार को मासिक लेखे अनिवार्य रूप से निर्धारित समयावधि तक भेजना सुनिश्चित करें।
2. कार्यालय महालेखाकार द्वारा प्राप्ति एवं व्यय के आंकड़ों के मिलान हेतु निर्धारित तिथि तक आंकड़ों का मिलान कराना सुनिश्चित करें।
3. वर्गीकृत सार में निर्धारित प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से अंकित करना सुनिश्चित करें।
4. वन/जलागम प्रभागों के माह के दौरान अनाहरित अवशेष चेकों की सूची मासिक लेखे के साथ भेजना सुनिश्चित करें।
5. संकलित मासिक लेखों में स्टाम्प ड्यूटी, आयकर तथा बिक्री कर की राशि को सम्मिलित न किया जाना सुनिश्चित करें।
6. वन प्रेषण के अन्तर्गत कोषागार में जमा धनराशि के चालानों की प्रति एवं विवरण यदि कोई है, की सूची अनिवार्य रूप से मासिक लेखे के साथ भेजना सुनिश्चित करें।
7. मासिक लेखे के साथ संलग्न सम्बन्धित प्रपत्रों/प्रमाणकों/अनुसूचियों में पूर्ण लेखा वर्गीकरण (15 अंकीय) अनिवार्य रूप से अंकित करना सुनिश्चित करें।
8. विभाग द्वारा अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्य निष्पादन हेतु दी जाने वाली वन अग्रिम राशि का समायोजन/वसूली वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
9. विभाग एवं प्रभागों से सेवानिवृत्त होने वाले व सेवानिवृत्त हुये अधिकारियों/कर्मचारियों के सा.भ.नि. के ऋणात्मक प्रकरणों की वसूली कराना सुनिश्चित करें।
10. चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में प्रोन्नत कर्मचारियों की चतुर्थ श्रेणी सा० भ० नि० खाते में जमा धनराशि अद्यतन ब्याज सहित चालान के माध्यम से उनके तृतीय श्रेणी सा० भ० नि० खाते में स्थानान्तरण कराना सुनिश्चित करें।

11. संकलित मासिक लेखों के साथ वन जमा के आय-व्यय प्रपत्र (ई-23) की सत्यापित प्रति संलग्न कर प्रेषित कराना सुनिश्चित करें।
12. संकलित मासिक लेखों के साथ सी०सी०एल०/डी०सी०एल० पासबुक एवं कोषागार मिलान की सत्यापित प्रति प्रेषित कराना सुनिश्चित करें।

वन विभाग एवं जलागम परियोजना के प्रभागों की कार्य प्रणाली पर वर्ष - 2024-25 की वार्षिक समीक्षा आख्या

परिचयात्मक

यह समीक्षा उत्तराखण्ड राज्य के वन विभाग एवं जलागम परियोजना के प्रभागों की कार्य प्रणाली का मूल्यांकन है। विभिन्न प्रभागों के मासिक लेखों में हो रही निरन्तर व सामान्य प्रकृति की अनियमितताओं को इस समीक्षा आख्या में सम्मिलित किया गया है। यहाँ यह भी उल्लेख किया जाता है कि इस समीक्षा आख्या में जो भी अनियमितताएं, कमियाँ एवं त्रुटियाँ शामिल की गयी हैं वे विस्तृत नहीं बल्कि उदाहरण के रूप में हैं।

दिनांक 31.03.2025 को वन विभाग (परिशिष्ट-1) एवं जलागम (परिशिष्ट -2) परियोजना के प्रभागों की कुल संख्या 57 थी। विभाग वार प्रभागों की संख्या निम्नानुसार है:

क्रम संख्या	विभाग	प्रभागों की संख्या
1.	वन विभाग के वृत्त/प्रभाग	46
2.	जलागम परियोजना के वृत्त/प्रभाग	11
योग		57

संरचना

समीक्षा आख्या दो भागों में निम्नवत तैयार की गयी है:-

प्रथम-भाग: इस भाग में प्रभागों से प्राप्त हुये मासिक लेखों की प्रारम्भिक जाँच एवं लेखों के संकलन के दौरान पायी गयी कमियों/अनियमितताओं को शामिल किया गया है।

द्वितीय-भाग: इस भाग में लेखा परीक्षा कार्यालय के केन्द्रीय लेखा परीक्षा के दौरान वन प्रभागों में पायी गयी वित्तीय अनियमितताओं एवं त्रुटियों को शामिल किया गया है।

भाग- प्रथम (लेखा)

प्रस्तर 1: राज्य में वन एवं जलागम प्रभागों में IFMS प्रणाली का लागू किया जाना:-

उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 129/XXVII(6)/एक/2018/2019 दिनांक 29.03.2019 एवं पत्रांक 306/XXVII (6)/430/एक/2018/2019 दिनांक 05.09.2019 के द्वारा वन लेखों के प्रेषण के संबंध में IFMS प्रणाली राज्य में अप्रैल 2019 से लागू की गयी है। इस प्रणाली के अंतर्गत वन एवं जलागम प्रभागों के मासिक लेखे कोषागार के माध्यम से IFMS Generated प्रेषित किये जाते हैं। अतः उक्त शासन आदेश दिनांक 05.09.2019 के अनुसार वन लेखों से सम्बन्धित वन प्रेषण (8782-00-103) को दिनांक 01.09.2019 से समाप्त कर दिया गया है। तदनुसार सम्बन्धित लेखा संहिता वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग VII में भी संशोधन अपेक्षित है।

लेखाशीर्ष 8782-00-103 के समाप्त होने के उपरान्त भी कुछ प्रभागों द्वारा लेखाशीर्ष 8782-00-103 के अंतर्गत चालान के द्वारा राशियों को जमा किया जा रहा है जबकि 8782 से सम्बन्धित आँकड़ों को सीधे 8443-00-109 में जमा करना तर्कसंगत है।

प्रस्तर 2:(अ) ऐसे वन प्रभाग जिनके द्वारा संपूर्ण मासिक लेखों को प्रेषित ही न किया जाना:-

अप्रैल 2019 से राज्य में IFMS प्रणाली लागू की गयी। इस प्रणाली के अंतर्गत यह व्यवस्था की गयी कि प्रत्येक वन एवं जलागम प्रभाग मासिक लेखों को संबंधित कोषागार को प्रेषित करेंगे। संबंधित कोषागार इन लेखाओं को संकलित कर कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक०) उत्तराखण्ड को प्रेषित करेंगे। सभी कोषागार नियमित रूप से मासिक लेखों को संकलित कर INTERFACE IFMS Generated लेखे प्रेषित कर रहे हैं, साथ ही इन मासिक लेखों की मूल प्रति भौतिक रूप में भी इस कार्यालय को प्राप्त करानी अनिवार्य है। परन्तु कुछ प्रभागों द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में सम्पूर्ण मासिक लेखे इस कार्यालय में प्रेषित नहीं किये गये। ऐसे प्रभागों की सूची परिशिष्ट-3 में अंकित है।

प्रस्तर 2:(ब) मासिक लेखों का विलम्ब से भेजा जाना:-

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-7 के प्रस्तर 201 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रभागों के संकलित मासिक लेखे सभी प्रपत्रों सहित (केवल माह मार्च के लेखे को छोड़कर) अगले माह 10 तारीख तक एवं मार्च माह के मासिक लेखे 20 अप्रैल तक महालेखाकार कार्यालय में प्राप्त हो जाने चाहिए। परन्तु पाया गया कि अधिकतर वन प्रभागों के अधिकारियों द्वारा संकलित मासिक लेखे महालेखाकार कार्यालय में प्राप्त कराये जाने के सम्बन्ध में उपरोक्त प्रावधानों का पालन नहीं किया गया और ना ही विलम्ब के कारणों का उल्लेख किया गया। इस सम्बन्ध में इस कार्यालय द्वारा संबन्धित प्रभागीय अधिकारी एवं शासन को स्थिति से अवगत कराने के पश्चात् भी मासिक लेखे विलम्ब से प्रेषित किये गये और विलम्ब होने के कारण भी सूचित नहीं किये गये। सूच्य है कि मासिक लेखा विलम्ब से प्राप्त होने की स्थिति में सम्बन्धित माह के राज्य लेखे में वन एवं

जलागम प्रभागों के मासिक लेखों को शामिल न किये जाने पर उस माह के राज्य लेखे का वास्तविक व्यय चिन्हित नहीं हो पाता है।

यहाँ यह सूचित करना भी आवश्यक है कि IFMS प्रणाली लागू होने के पश्चात कोषागारों द्वारा IFMS के माध्यम से मासिक लेखे प्रेषित करने के साथ-साथ वन एवं जलागम प्रभागों द्वारा पूर्व की भाँति (अगले आदेश तक) इस कार्यालय को मासिक लेखे प्रेषित किया जाना अनिवार्य है।

नियत तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले लेखों की माहवार स्थिति निम्न तालिका-1 में दर्शायी गई है तथा विलम्ब से प्राप्त हुये मासिक लेखों की प्रभागवार एवं माहवार स्थिति परिशिष्ट '4' एवं '5' में दी गई है।

तालिका-1

माह	माह में देय कुल लेखों की संख्या		नियत तिथि से अप्राप्त /विलम्ब होने वाले लेखों की संख्या				विलम्ब /अप्राप्त लेखों का प्रतिशत	
	वन	जलागम	वन		जलागम		वन	जलागम
			अप्राप्त	विलम्ब	अप्राप्त	विलम्ब		
04/2024	46	11	31	08	06	04	84.78%	90.90%
05/2024	46	11	25	14	03	06	84.78%	81.81%
06/2024	46	11	21	10	04	04	67.39%	72.73%
07/2024	46	11	23	07	04	02	65.21%	54.54%
08/2024	46	11	24	13	05	05	80.43%	90.90%
09/2024	46	11	27	12	04	04	84.78%	72.73%
10/2024	46	11	20	16	05	05	78.26%	90.90%
11/2024	46	11	19	18	05	03	80.43%	72.72%
12/2024	46	11	24	13	05	03	80.43%	72.72%
01/2025	46	11	22	13	07	-	76.08%	63.63%
02/2025	46	11	29	09	07	-	82.60%	63.63%
03/2025	46	11	20	-	04	-	43.47%	36.36%
योग	552	132	285	133	59	36	75.54%	71.96%

शासन को ऐसे प्रभागों को कड़े निर्देश जारी करने की आवश्यकता है जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में निर्धारित तिथि तक इस कार्यालय में मासिक लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये। भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो इसके लिए शासन स्तर पर आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है एवं कृत कार्यवाही से कार्यालय महालेखाकार को भी अवगत कराना अपेक्षित रहेगा।

प्रस्तर-3: वन प्रभागों द्वारा त्रैमासिक लेखा मिलान पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिये प्रभागीय अधिकारियों द्वारा वास्तविक व्यय पर सतत् दृष्टि का अभाव:-

प्राप्ति एवं व्यय के सही तथा वास्तविक आंकड़ों को प्राप्त करने हेतु वन प्रभागों के लेखे में दर्शाये गये प्राप्ति एवं व्यय के आंकड़ों का महालेखाकार कार्यालय के अभिलेखों में दर्ज आंकड़ों से मिलान किया जाना अति आवश्यक है, जिससे राज्य सरकार के लेखों में लेखाशीर्षों के अन्तर्गत वास्तविक आंकड़े प्रदर्शित हो सके। अतः प्रभागीय अधिकारियों को अपने प्रभागों के लेखे में दर्शाये गये आंकड़ों का इस कार्यालय के अभिलेखों में दर्शाये गये आंकड़ों से मिलान निम्नानुसार निर्धारित दिनांक तक कराना वांछित था:-

क्रम सं०	त्रैमास	लेखे की अवधि	मिलान की निर्धारित तिथि
1.	प्रथम	अप्रैल से जून तक	12.08.2024 तक
2.	द्वितीय	जुलाई से सितम्बर तक	12.11.2024 तक
3.	तृतीय	अक्टूबर से दिसम्बर तक	17.02.2025 तक
4.	चतुर्थ	जनवरी से मार्च तक	15.05.2025 तक

परन्तु वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 34 प्रभाग ऐसे हैं जिनके द्वारा त्रैमासिक मिलान हेतु प्राप्ति एवं व्यय के आंकड़े भेजे ही नहीं गये। ऐसे प्रभागों की सूची परिशिष्ट-6 में दर्शायी गयी है। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि 11 प्रभाग ऐसे हैं जिनके द्वारा त्रैमासिक मिलान हेतु प्राप्ति एवं व्यय के आंकड़े विलम्ब से भेजे गये। ऐसे प्रभागों की सूची परिशिष्ट-7 में दर्शायी गयी है।

विदित है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्राप्ति लेखा शीर्ष 0406 में आंकड़ों का मिलान मुख्य लेखाशीर्ष तथा लघु लेखाशीर्ष वार किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में मुख्य लेखाशीर्ष 0406 में प्राप्त कुल धनराशि रु० 579,90,59,765/- के सापेक्ष विभाग द्वारा धनराशि रु० 577,15,42,521/- का मिलान कराया गया है।

इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि मिलान प्रक्रिया का उद्देश्य लेखाओं में पायी गयी किसी भी कमी/त्रुटि को सुधारना है जिससे कि राज्य के मासिक लेखों में आय एवं व्यय की धनराशि आवंटित बजट के सापेक्ष सही परिलक्षित हो। मिलान न कराने एवं विलम्ब से मिलान कराने से मासिक लेखों में राज्य की सही वित्तीय स्थिति परिलक्षित नहीं हो पाती है।

मिलान सम्बन्धित महत्वपूर्ण कार्यों देखते हुये प्रकरण शासन/उच्चधिकारियों के संज्ञान में इस आशय से लाया जा रहा है कि सम्बन्धित विभागों को निर्धारित तिथि तक प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ त्रैमास के आंकड़ों का, महालेखाकार कार्यालय के आंकड़ों से मिलान अवश्य कराने हेतु आवश्यक निर्देश जारी करें एवं विभागों में समय पर मिलान सम्बन्धी कार्यों के सम्पादन की प्रणाली विकसित करें एवं उसका सतत पर्यवेक्षण भी सुनिश्चित करायें।

प्रस्तर-4: मासिक लेखों के साथ वर्गीकृत सार की मूल प्रति न भेजा जाना तथा सार के अन्त में निर्धारित प्रमाण-पत्र अंकित न किया जाना:-

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-7 के प्रस्तर 200 के अनुसार प्रति माह भेजे जाने वाले मासिक लेखों के साथ वर्गीकृत सार की मूल प्रति निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय को भेजा जाना चाहिए। परन्तु वर्ष 2024-25 में पाया गया कि कतिपय प्रभागों द्वारा मासिक लेखे के साथ वर्गीकृत सार की मूल प्रति प्रेषित नहीं की गयी है। ऐसे प्रभागों की सूची परिशिष्ट-8 पर अंकित है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-7 के प्रस्तर 188 के अनुसार व्यय के वर्गीकृत व्यय सार के अन्त में निर्धारित प्रमाण-पत्र अंकित किया जाना चाहिए ताकि लेखों में दर्ज आंकड़ों की सत्यता सिद्ध हो सके, परन्तु पाया गया है कि उक्त नियम का पालन प्रभागों द्वारा नहीं किया गया। प्रकरण को उच्चाधिकारियों/शासन के संज्ञान में इस आशय से लाया जाता है कि प्रति माह भेजे जाने वाले मासिक लेखे के साथ वर्गीकृत सार की मूल प्रति निर्धारित प्रमाण पत्र (प्रमाण पत्र का प्रारूप परिशिष्ट- 9) के अनुसार भेजना सुनिश्चित किया जाये।

प्रस्तर-5: माह के दौरान निर्गत e-payment के सापेक्ष भुगतान के पश्चात अवशेष e-payment का विवरण उपलब्ध न कराया जाना:-

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के स्थायी आदेशों की पुस्तिका (लेखा एवं हकदारी) खण्ड 1 के प्रस्तर 9.3 के अनुसार प्रभागों द्वारा प्रतिमाह प्रपत्र ई-6 में निर्गत e-payment में से कोषागार द्वारा भुगतान के पश्चात अवशेष e-payment को कोषागार से मिलान करने के उपरान्त उनकी विवरण सूची मासिक संकलित लेखे के साथ इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना प्रावधानित है, परन्तु पाया गया है कि वन प्रभागों द्वारा उक्त नियम का पालन नहीं किया गया, जिस कारण अवशेष भुगतान की वास्तविक स्थिति ज्ञात नहीं हो पाई है। उच्चाधिकारियों/शासन से अपेक्षा की जाती है कि प्रभागीय अधिकारियों को उक्त प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया जाये।

प्रस्तर-6: वन प्रभागों के संवितरकों (अधिकारी/अधीनस्थ कर्मचारी) को दिये गये वन अग्रिम धनराशि का समायोजन/वसूली न किया जाना:-

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-7 के प्रस्तर-154 के अन्तर्गत वन विभाग के प्रखण्डों के संवितरक अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके द्वारा निष्पादित किये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में भुगतान हेतु वन अग्रिम दिये जाने का प्रावधान है। नियमानुसार इन अग्रिमों का समायोजन सम्बन्धित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व ही किया जाना अपेक्षित है। यदि अग्रिमों का समायोजन न हो पाये तो सम्बन्धित अधिकारी द्वारा असमायोजित धनराशि को शासकीय लेखे में वापस जमा किया जाना चाहिए। विशेष अपरिहार्य परिस्थिति में

यदि असमायोजित अवशेष राशि की वसूली सम्बन्धित संवितरक अधिकारी/कर्मचारी से किया जाना सम्भव न हो तो इस धनराशि को वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-7 के प्रस्तर-166 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के अधीन लेखाशीर्षक "प्रकीर्ण" के अधीन बट्टे खाते में डाला जा सकता है।

समीक्षा में पाया गया है कि 15 प्रखण्डों द्वारा विगत वर्षों से वर्ष 2024-25 तक में दिये गये वन अग्रिम रु 99,109.81/- का समायोजन/वसूली अद्यतन लम्बित है। जिसका विवरण परिशिष्ट-10 में दिया गया है। प्रकरण आवश्यक समायोजन/वसूली हेतु उच्चाधिकारियों/शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर-7: मासिक लेखे के साथ प्रेषित आय तथा व्यय के वर्गीकृतसार (ई-11), प्रगामी आय/व्यय पत्रक (ई-7) एवं अनुसूचियों/प्रमाणकों पर लेन-देनों से सम्बन्धित लेखाशीर्षकों का पूर्ण विवरण न अंकित किया जाना।

नियमानुसार राजस्व एवं व्यय से सम्बन्धित विभिन्न लेन-देनों का लेखा वर्गीकरण 15 अंकीय संहिता में प्रत्येक अभिलेख पर निम्न क्रम में अंकित किये जाने चाहिए:-

1. राजस्व (प्राप्ति):

मुख्य शीर्ष → उप मुख्य शीर्ष → लघु शीर्ष → उप शीर्ष → विस्तृत शीर्ष ।

2. व्यय (भुगतान):

अनुदान संख्या → मुख्य शीर्ष → उप मुख्य शीर्ष → लघु शीर्ष → उप शीर्ष → विस्तृत शीर्ष

विभिन्न वन प्रभागों/जलागम प्रभागों से प्राप्त मासिक लेखा के साथ संलग्न उक्त अभिलेखों की जाँच करने पर यह पाया गया कि कुछ प्रभागों द्वारा उपरोक्तानुसार राजस्व/व्यय के लेखाशीर्ष अंकित नहीं किये गये परिणामतः महालेखाकार कार्यालय में तैयार मासिक एवं वार्षिक लेखों में भी उक्त कारण से त्रुटि परिलक्षित होने की सम्भावना रहती है।

अतः प्रभागों द्वारा प्रेषित मासिक लेखों के अभिलेखों में पूर्ण लेखा वर्गीकरण का अंकन सुनिश्चित किए जाने की नितान्त आवश्यकता है।

प्रस्तर-8: मासिक लेखों के साथ सी०सी०एल०/डी०सी०एल० पासबुक संलग्न न किया जाना।

वन/जलागम प्रभागों द्वारा माह के दौरान सिविल/जमा कार्यों में व्यय की गयी धनराशि का मासिक लेखे से मिलान हेतु डी०सी०एल० पासबुक के प्रपत्र का मासिक लेखों के साथ प्रेषित करना आवश्यक होता है। परन्तु कुछ वन/जलागम प्रभागों द्वारा उक्त प्रपत्र मासिक लेखों के साथ संलग्न न किये जाने से व्यय के मिलान का कार्य बाधित होता है। उक्त प्रपत्र संलग्न न करने वाले प्रभागों की सूची परिशिष्ट-11 में अंकित है।

प्रस्तर-09: मासिक लेखों के साथ वन जमा के आय/व्यय प्रपत्र (ई-23) संलग्न न किया जाना:-

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-7 के प्रस्तर 198 के अन्तर्गत वन विभाग द्वारा प्रति माह वन निक्षेपों के अन्तर्गत प्राप्तियों और समायोजनों के ब्यौरे और निक्षेप की प्रत्येक मद का अन्तिम शेष पृथक-पृथक प्रपत्र संख्या 23 में दर्शाया जाना चाहिए। जिससे प्रभाग वार माह के दौरान प्राप्ति एवं व्यय और अन्तिम शेषों का मिलान किया जा सके।

समीक्षा में पाया गया कि कुछ वन प्रभागों द्वारा वन निक्षेप प्रपत्र (ई-23) मासिक लेखों के साथ संलग्न नहीं किया गया है। ऐसे वन प्रभागों की सूची परिशिष्ट-12 में दर्शायी गयी है।

प्रस्तर-10: मासिक लेखों में पायी गयी अन्य त्रुटियाँ:-

वन प्रभागों से प्राप्त मासिक लेखों की जाँच में निम्न प्रकार की त्रुटियाँ सामान्यतः प्रकाश में आयी हैं:-

1. कुछ वन प्रभागों द्वारा प्रेषित मासिक लेखों में रोकड़ बही के अन्तर्गत अनुदान संख्या /मुख्य लेखाशीर्ष का उल्लेख नहीं किया गया, ऐसे प्रभागों की सूची परिशिष्ट-13 में दर्शायी गयी है।
2. लेखा संहिता भाग-तीन (ACCOUNT CODE VOLUME-III) के अनुसार अनुसूचियाँ निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर भेजी जानी चाहिए, जिससे अनुसूचियों का मिलान मासिक लेखे से करने में सुगमता रहे, परन्तु प्रायः यह देखने में आया है कि प्रभागों द्वारा अनुसूचियाँ निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर मासिक लेखे के साथ नहीं भेजी जाती हैं, जिससे अनुसूचियों से मासिक लेखा का मिलान पूर्णतः नहीं हो पाता है।
3. मासिक लेखों के साथ संलग्न अनुसूचियों में योग त्रुटिपूर्ण रहता है, जिससे उक्त राशियों का मिलान रोकड़ बही से करके लेखांकन करना सम्भव नहीं हो पाता है।
4. रोकड़ बही में लेखाशीर्ष व नामावली अंकित नहीं रहती है अथवा त्रुटिपूर्ण अंकित रहती है, जिस कारण आय/व्यय का बजट से सही मिलान नहीं हो पाता है। अतः लेखा वर्गीकरण त्रुटिपूर्ण रहने की सम्भावना रहती है।
5. रोकड़ वही (ई-7) में Forest Deposit के मदों में प्राप्ति और जमा धनराशि के सम्मुख कुछ प्रभागों द्वारा मुख्य लेखाशीर्ष गलत दर्ज किया जाता है, जबकि Deposit मदों की प्राप्ति में लेखाशीर्ष 8443 दर्ज होना चाहिए। गलत लेखाशीर्ष होने से लेखों में त्रुटियाँ होने की संभावना रहती है।

6. कुछ प्रभागों द्वारा मासिक लेखे के साथ व्यय विवरण सार संलग्न नहीं रहता है, जिसके कारण लेखांकन का कार्य करने में असुविधा होती है।

प्रस्तर-11: संकलित मासिक लेखे में अनावश्यक रूप से आयकर, स्टाम्प ड्यूटी, बिक्री कर तथा जी०एस०टी० को दिखाया जाना:-

कुछ प्रभागों द्वारा संकलित मासिक लेखे में मुख्य लेखाशीर्ष- 0021, 0030, 0040 तथा 006 की राशियों को आय और व्यय पक्ष में दर्शाया जा रहा है जबकि इन राशियों को उक्त मुख्य लेखाशीर्ष में कोषागार में चालान/ई-चालान के द्वारा जमा किया जाना वांछित है। कोषागार अपने मासिक लेखे के साथ उक्त मुख्य लेखाशीर्षों की जमा राशियों का विवरण महालेखाकार को प्रस्तुत करते हैं, तदनुसार इसका लेखांकन इस कार्यालय के वी०एल०सी० अनुभाग द्वारा किया जाता है। अतः वन प्रभागों द्वारा संकलित लेखे में उक्त शीर्षों में चालान द्वारा जमा राशियों को नहीं दर्शाया जाना चाहिये, क्योंकि इससे लेखांकन में असुविधा होती है तथा धनराशि के दोहरे (Double) लेखांकन की सम्भावना रहती है, ऐसे प्रभागों का विवरण परिशिष्ट-14 पर अंकित है।

प्रस्तर-12: वित्तीय वर्ष 2024-25 में वन विभाग के सामान्य भविष्य निधि के अंतिम भुगतान/ नवीन आवंटन प्रकरणों के सम्बन्ध में।

1. वित्तीय वर्ष 2024-25 तक वन विभाग के सम्बन्धित सा०भ०नि० अधिक भुगतान प्रकरणों में से दो (02) प्रकरण में रू 6,25,848/- की वसूली कई स्मरण-पत्र भेजने के बावजूद अभी तक नहीं हुई है। उक्त प्रकरण का विवरण परिशिष्ट-15 में अंकित है।
2. वर्ष 2024-25 के दौरान वन विभाग से सम्बन्धित कुल 138 सा०भ०नि० अंतिम भुगतान प्रकरण इस कार्यालय में प्राप्त हुए थे जिनमें से 137 प्राधिकार पत्र जारी किये जा चुके हैं तथा 01 प्रकरण को वापस किया गया है। वर्ष 2024-25 के दौरान कोई भी ऋणात्मक प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है, एवं किसी भी ऋणात्मक प्रकरण में वसूली नहीं की गई है।
3. वन विभाग के खण्डीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सा०भ०नि० लेखों का मिलान 90 प्रतिशत भुगतान से पूर्व किया जाता है।
4. चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में प्रोन्नत कर्मचारियों की सा०भ०नि० धनराशि का स्थानान्तरण किया जा रहा है। जिन कर्मचारियों की धनराशि का स्थानान्तरण नहीं किया जाता है उन प्रकरणों में अद्यतन ब्याज सहित स्थानान्तरण हेतु विभाग से पत्राचार किया जाता है।
5. चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में धनराशि का स्थानान्तरण करते समय कुछ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा चालान तृतीय श्रेणी के स्थान पर चतुर्थ श्रेणी का लेखाशीर्ष दर्ज कर दिया जाता है। गलत लेखाशीर्ष

दर्ज होने के कारण धनराशि तृतीय श्रेणी में जमा नहीं हो पाती है, जिसके कारण संबंधित अभिदाता को परेशानी होती है तथा अनुभाग द्वारा कोषागार /आहरण वितरण अधिकारी से धनराशि सही लेखाशीर्ष में दर्ज किये जाने हेतु पत्राचार किया जाता है।

6. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली के निर्देशानुसार सामान्य भविष्य निधि लेखापत्ची कार्यालय महालेखाकार द्वारा जारी करना बंद कर दिया गया है। अभिदाता को अपनी लेखापत्ची प्राप्त करने हेतु इस कार्यालय की वेबसाइट www.cag.gov.in/ae/uttarakhand पर ऑनलाइन सुविधा प्रदान की गयी है।
7. वर्तमान में संज्ञान में आया है कि 12 सा०भ०नि० खातों में धनराशि ऋणात्मक (-22,52,905/-) प्रदर्शित हो रही है। धनराशि ऋणात्मक प्रदर्शित होने के मुख्य कारण लुप्त अंशदानों का समायोजन न हो पाना, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी जिनकी प्रोन्नति तृतीय श्रेणी में हो गई है, उन कर्मचारियों की धनराशि का स्थानान्तरण तृतीय श्रेणी सा०भ०नि० में नहीं किया जाना, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ०प्र० प्रयागराज से सा०भ०नि० की वर्ष 2000 से पूर्व की कटौतियों/अवशेषों का स्थानान्तरण न होना है। उक्त ऋणात्मक प्रकरणों का विवरण परिशिष्ट-16 में अंकित है।

भाग-द्वितीय (लेखापरीक्षा)

लेखापरीक्षा के दौरान पाई गयी अनियमितताएँ:-

वर्ष 2024-25 के दौरान वन प्रभागों की लेखापरीक्षा के दौरान अनेक प्रकार की अनियमितताएँ/कमियाँ/त्रुटियाँ पाई गयी। महत्वपूर्ण अनियमितताओं की सूची परिशिष्ट-17, (क) 17 (ख) एवं 17 (ग) में दी गयी है।

उपर्युक्त सभी प्रकरणों में वित्तीय हितों की सुरक्षा हेतु शासन द्वारा सुधारात्मक कदम उठाये जाने की आवश्यकता है। अतः शासन के ध्यान में उक्त त्रुटियाँ/अनियमितताएँ लाते हुए भविष्य में उक्त त्रुटियों/अनियमितताओं की पुनरावृत्ति पर अंकुश लगाने हेतु शासन से समुचित कार्यवाही करने की अपेक्षा की जाती है।

परिशिष्ट-1

वन विभाग के वृत्तों/प्रभागों की सूची

क्रम संख्या	एफ०आर० डी० कोड	वृत्त/प्रभाग	पता
1.	021	प्रभागीय वनाधिकारी	टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी
2.	022	उप वन संरक्षक	उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी
3.	023	उप वन संरक्षक	भूमि संरक्षण वन प्रभाग, उत्तरकाशी
4.	024	प्रभागीय वनाधिकारी	टिहरी डैम-1, नई टिहरी
5.	025	प्रभागीय वनाधिकारी	नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, नरेन्द्रनगर
6.	026	प्रभागीय वनाधिकारी	टिहरी डैम-2, उत्तरकाशी
7.	041	प्रभागीय वनाधिकारी	गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी
8.	042	प्रभागीय वनाधिकारी	बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर
9.	043	प्रभागीय वनाधिकारी	सिविल सोयम वन प्रभाग, पौड़ी
10.	044	प्रभागीय वनाधिकारी	अलकनंदा भूमि संरक्षण वन प्रभाग, गोपेश्वर
11.	045	प्रभागीय वनाधिकारी	रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग
12.	081	प्रभागीय वनाधिकारी	पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़
13.	082	प्रभागीय वनाधिकारी	बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर
14.	083	प्रभागीय वनाधिकारी	अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा
15.	084	प्रभागीय वनाधिकारी	सिविल सोयम अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा
16.	085	प्रभागीय वनाधिकारी	चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत
17.	111	प्रभागीय वनाधिकारी	केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग, गोपेश्वर
18.	112	उप वन संरक्षक	नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, जोशीमठ, चमोली
19.	121	प्रभागीय वनाधिकारी	कालागढ़ टाईगर रिजर्व प्रभाग, लैंसडौन
20.	151	प्रभागीय वनाधिकारी	लैंसडौन वन प्रभाग, लैंसडौन
21.	152	प्रभागीय वनाधिकारी	भूमि संरक्षण वन प्रभाग, लैंसडौन
22.	153	प्रभागीय वनाधिकारी	देहरादून वन प्रभाग, देहरादून
23.	154	प्रभागीय वनाधिकारी	भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी
24.	155	प्रभागीय वनाधिकारी	हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार
25.	161	प्रभागीय वनाधिकारी	अतिरिक्त भूमि संरक्षण वन प्रभाग, रामनगर, नैनीताल
26.	162	प्रभागीय वनाधिकारी	भूमि संरक्षण वन प्रभाग, नैनीताल
27.	163	प्रभागीय वनाधिकारी	नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल
28.	164	प्रभागीय वनाधिकारी	भूमि संरक्षण वन प्रभाग, रानीखेत
29.	181	प्रभागीय वनाधिकारी	हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी

क्रम संख्या	एफ०आ० डी० कोड	वृत्त/प्रभाग	पता
30.	182	प्रभागीय वनाधिकारी	तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी
31.	183	प्रभागीय वनाधिकारी	तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, विकास भवन रूद्रपुर
32.	184	प्रभागीय वनाधिकारी	तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर, नैनीताल
33.	185	प्रभागीय वनाधिकारी	रामनगर वन प्रभाग, रामनगर
34.	191	उप वन संरक्षक	चकराता वन प्रभाग, कालसी
35.	192	प्रभागीय वनाधिकारी	अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट
36.	193	उप वन संरक्षक	मसूरी वन प्रभाग, मसूरी
37.	194	प्रभागीय वनाधिकारी	टौन्स वन प्रभाग, पुरौला, उत्तरकाशी
38.	301	वन वर्धनिक	साल क्षेत्र, हल्द्वानी
39.	सी-05	मुख्य वन संरक्षक	गढ़वाल एवं प्रशासन पौड़ी
40.	सी-14	वन वर्धनिक	हिल रीजन, नैनीताल
41.	सी-32	उप निदेशक	गंगोत्री, राष्ट्रीय पार्क, उत्तरकाशी
42.	सी-33	उप निदेशक	गोविन्द वन्य जीव विहार, पुरौला
43.	सी-34	निदेशक	राजाजी राष्ट्रीय पार्क, देहरादून
44.	सी-35	निदेशक	कार्बेट टाइगर रिजर्व, रामनगर, उत्तराखण्ड (नैनीताल)
45.	सी-36	निदेशक	उत्तराखण्ड वानिकी प्रशिक्षण अकादमी, हल्द्वानी, (नैनीताल)
46.	सी-38	वन संरक्षक	पश्चिमी वृत्त, हल्द्वानी

परिशिष्ट-2
जलागम विभाग के वृत्तों/प्रभागों की सूची

क्रम संख्या	एफ०आ० डी० कोड	वृत्त/प्रभाग	पता
1.	सी०-24	मुख्य परियोजना निदेशक प्रशासन	जलागम प्रबन्ध निदेशालय, इन्दिरा नगर देहरादून।
2.	सी०-26	परियोजना निदेशक	परियोजना निदेशक, यू०डी०डब्ल्यू०डी०पी० गढ़वाल क्षेत्र, मुनिकीरिती
3.	सी०-27	परियोजना निदेशक	परियोजना निदेशक, यू०डी०डब्ल्यू०डी०पी० कुमाऊँ क्षेत्र, हल्द्वानी
4.	261	उप परियोजना निदेशक	उत्तराखण्ड जलवायु अनुकूल वारानी कृषि परियोजना, UCRFP रुद्रप्रयाग प्रभाग
5.	265	उप परियोजना निदेशक	उप निदेशक, यू०डी०डब्ल्यू०डी०पी० (पी०एम०यू०) देहरादून
6.	266	उप परियोजना निदेशक	उत्तराखण्ड जलवायु अनुकूल वारानी कृषि परियोजना, UCRFP टिहरी प्रभाग
7.	267	उप परियोजना निदेशक	उत्तराखण्ड जलवायु अनुकूल वारानी कृषि परियोजना, UCRFP पौड़ी प्रभाग
8.	268	उप परियोजना निदेशक	उत्तराखण्ड जलवायु अनुकूल वारानी कृषि परियोजना, UCRFP उत्तरकाशी प्रभाग
9.	273	उप परियोजना निदेशक	उत्तराखण्ड जलवायु अनुकूल वारानी कृषि परियोजना, UCRFP नैनीताल प्रभाग
10.	274	उप परियोजना निदेशक	उप परियोजना निदेशक, पी० एम०के०एस०वाई० WDC 02 पिथौरागढ़ प्रभाग
11.	275	उप परियोजना निदेशक	उत्तराखण्ड जलवायु अनुकूल वारानी कृषि परियोजना, UCRFP अल्मोडा प्रभाग

परिशिष्ट-3

सम्पूर्ण मासिक लेखे प्रेषित न करने वाले प्रभागों की सूची

प्रस्तर-2 (अ) भाग प्रथम

क्रम संख्या	एफ०आ० डी० कोड	वृत्त/प्रभाग	पता
1.	026	प्रभागीय वनाधिकारी	टिहरी डैम-2, उत्तरकाशी
2.	081	प्रभागीय वनाधिकारी	पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़
3.	082	प्रभागीय वनाधिकारी	बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर
4.	084	प्रभागीय वनाधिकारी	सिविल सोयम अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा
5.	085	प्रभागीय वनाधिकारी	चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत
6.	164	प्रभागीय वनाधिकारी	भूमि संरक्षण वन प्रभाग, रानीखेत
7.	181	प्रभागीय वनाधिकारी	हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी
8.	182	प्रभागीय वनाधिकारी	तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी
9.	184	प्रभागीय वनाधिकारी	तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर, नैनीताल
10.	185	प्रभागीय वनाधिकारी	रामनगर वन प्रभाग, रामनगर
11.	194	प्रभागीय वनाधिकारी	टौन्स वन प्रभाग, पुरौला, उत्तरकाशी
12.	सी-05	मुख्य वन संरक्षक	गढ़वाल एवं प्रशासन पौड़ी
13.	सी-35	निदेशक	कार्बेट टाइगर रिजर्व, रामनगर, उत्तराखण्ड (नैनीताल)
14.	सी-36	निदेशक	उत्तराखण्ड वानिकी प्रशिक्षण अकादमी, हल्द्वानी, (नैनीताल)
15.	सी-38	वन संरक्षक	पश्चिमी वृत्त, हल्द्वानी
16	267	उप परियोजना निदेशक	उत्तराखण्ड जलवायु अनुकूल वारानी कृषि परियोजना, UCRRFP पौड़ी प्रभाग

परिशिष्ट-4
नियत तिथि के बाद प्राप्त/अप्राप्त/विलम्ब से होने वाले लेखाओं की सूची "वन विभाग"
(प्रस्तर-2 भाग प्रथम)

क्र० सं०	एफ. आर. डी. कोड	प्रभाग/वृत्त	2024-25 में मासिक लेखाओं की प्राप्ति											
			अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
1.	021	प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी	20.05.24	11.06.24	09.07.24	09.08.24	09.09.24	11.10.24	08.11.24	12.12.24	10.01.25	10.02.25	10.03.25	16.04.25
2.	022	उप वन संरक्षक, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी	10.05.24	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	13.11.24	13.12.24	अप्राप्त	11.02.25	11.03.25	17.04.25
3.	023	उप वन संरक्षक, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, उत्तरकाशी	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	14.11.24	10.12.24	10.01.25	अप्राप्त	अप्राप्त	15.04.25
4.	024	प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी डैम-1, नई टिहरी	अप्राप्त	20.06.24	08.07.24	09.08.24	13.09.24	अप्राप्त	अप्राप्त	12.12.24	10.01.25	13.02.25	10.03.25	14.04.25
5.	025	प्रभागीय वनाधिकारी, नेट्टनगर वन प्रभाग, नेट्टनगर	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	14.10.24	अप्राप्त	10.12.24	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
6.	026	प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी डैम-2, उत्तरकाशी	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	13.12.24	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
7.	041	प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	12.09.24	अप्राप्त	अप्राप्त	10.12.24	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
8.	042	प्रभागीय वनाधिकारी, बढीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर	09.05.24	11.06.24	08.07.24	16.08.24	13.09.24	10.10.24	11.11.24	12.12.24	13.01.25	10.02.25	12.03.25	14.04.25
9.	043	प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल सोयम वन प्रभाग, पौड़ी	अप्राप्त	अप्राप्त	09.07.24	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	13.12.24	13.01.25	10.02.25	10.03.25	15.04.25
10.	044	प्रभागीय वनाधिकारी,	27.05.24	13.06.24	09.07.24	09.08.24	09.09.24	10.10.24	10.11.24	10.12.24	13.01.25	11.02.25	10.03.25	14.04.25

21.	लैसडौन वन प्रभाग, कोटद्वार प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, लैसडौन	अप्राप्त	13.06.24	26.07.24	11.08.24	09.09.24	10.10.24	12.11.24	अप्राप्त						
22.	प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून	अप्राप्त	06.06.24	10.07.24	09.08.24	12.09.24	11.10.24	10.11.24	10.12.24	13.01.25	13.02.25	10.03.25	10.04.25	अप्राप्त	अप्राप्त
23.	प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी	10.05.24	11.06.24	09.07.24	16.08.24	09.09.24	13.10.24	08.11.24	10.12.24	17.01.25	10.02.25	अप्राप्त	10.04.25	अप्राप्त	अप्राप्त
24.	प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार	10.05.24	10.06.24	12.07.24	अप्राप्त	17.09.24	अप्राप्त	11.11.24	अप्राप्त	अप्राप्त	17.02.25	12.03.25	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
25.	प्रभागीय वनाधिकारी, अतिरिक्त भूमि संरक्षण वन प्रभाग, रामनगर, नैनीताल	अप्राप्त	अप्राप्त	09.07.24	08.08.24	14.09.24	11.10.24	10.11.24	16.12.24	13.01.25	14.02.25	10.03.25	16.04.25	अप्राप्त	अप्राप्त
26.	प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, नैनीताल	15.05.24	13.06.24	अप्राप्त	08.08.24	अप्राप्त	11.10.24	13.11.24	16.12.24	13.01.25	13.02.25	10.03.25	17.04.25	अप्राप्त	अप्राप्त
27.	प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	07.08.24	अप्राप्त	अप्राप्त	12.11.24	18.12.24	10.01.25	10.02.25	12.03.25	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
28.	प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, रानीखेत	अप्राप्त	17.02.25	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त								
29.	प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी	अप्राप्त	10.02.25	11.03.25	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त								
30.	प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी	अप्राप्त	10.01.25	अप्राप्त	अप्राप्त	16.04.25	अप्राप्त	अप्राप्त							
31.	प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, विकास भवन, रूद्रपुर	अप्राप्त	अप्राप्त	30.07.24	अप्राप्त	18.09.24	अप्राप्त	13.01.24	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	10.04.25	अप्राप्त	अप्राप्त
32.	प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर,	अप्राप्त	13.06.24	09.07.24	11.08.24	अप्राप्त	10.04.25	अप्राप्त	अप्राप्त						
33.	प्रभागीय वनाधिकारी,	अप्राप्त	10.04.25	अप्राप्त	अप्राप्त										

34.	191	रामनगर वन प्रभाग, रामनगर उप वन संरक्षक, चक्राता वन प्रभाग, कालसी	अप्राप्त	04.06.24	05.06.24	08.08.24	12.09.24	11.10.24	12.11.24	10.12.24	13.01.25	13.02.25	अप्राप्त	17.04.25
35.	192	प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट	10.05.24	26.06.24	26.06.24	13.08.24	09.09.24	13.10.24	13.11.24	11.12.24	13.01.25	14.02.25	अप्राप्त	10.04.25
36.	193	उप वन संरक्षक, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी	17.05.24	12.06.24	09.07.24	09.08.24	09.09.24	10.10.24	14.11.24	12.12.24	13.01.25	12.02.25	अप्राप्त	14.04.25
37.	194	प्रभागीय वनाधिकारी, टौंस वन प्रभाग, पुरोला	10.05.24	अप्राप्त	13.07.24	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	11.12.24	अप्राप्त	10.02.25	अप्राप्त	14.04.25
38.	सी-36	निदेशक, उत्तराखण्ड वानिकी प्रशिक्षण अकादमी, हल्द्वानी, नैनीताल	अप्राप्त											
39.	301	वन वर्धनिक, साल क्षेत्र, हल्द्वानी	अप्राप्त	12.06.24	24.07.24	20.08.24	09.09.24	11.10.24	12.11.24	13.12.24	13.01.25	10.02.25	अप्राप्त	अप्राप्त
40.	सी-05	मुख्य वन संरक्षक, (गढ़वाल), पौड़ी, उत्तराखण्ड	अप्राप्त											
41.	सी-14	वन वर्धनिक, उत्तराखण्ड, फेरीहाल, तल्लीताल, नैनीताल	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	11.10.24	18.11.24	13.12.24	10.01.25	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
42.	सी-32	उप निदेशक, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क, उत्तरकाशी	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	13.09.24	12.10.24	19.11.24	14.12.24	10.01.25	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
43.	सी-33	उप निदेशक, गोविन्द वन्य जीव, विहार, पुरोला	अप्राप्त	अप्राप्त	24.07.24	24.08.24	09.09.24	12.10.24	19.11.24	10.12.24	10.01.25	10.02.25	10.03.25	14.04.25
44.	सी-34	निदेशक, राजाजी राष्ट्रीय पार्क देहरादून	अप्राप्त	13.06.24	08.07.24	09.08.24	अप्राप्त	10.04.25						
45.	सी-35	उप निदेशक प्रोजेक्ट टाइगर रामनगर	अप्राप्त											
46.	सी-38	वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त,	अप्राप्त											

हल्द्वानी																				
वन विभाग के नियत तिथि के बाद प्राप्त होने वाले लेखाओं का योग	39	39	31	30	37	39	36	37	37	35	38	20								

परीशिष्ट-5
जलागम विभाग के नियत तिथि के बाद प्राप्त/अप्राप्त/विलम्ब होने वाले लेखाओं की सूची
(प्रस्तर-2 भाग प्रथम)

क्र. सं.	एफ. आर. डी. कोड	प्रभाग/वृत्त	2024-25 मासिक लेखाओं की प्राप्ति											
			अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
1.	सी-24	जलागम प्रबन्ध निदेशालय, इन्दिरा नगर देहरादून	11.05.24	12.06.24	10.07.24	09.08.24	10.09.24	09.10.24	11.11.24	10.12.24	10.01.25	10.02.25	10.03.25	14.04.25
2.	सी-26	परियोजना निदेशक, यू०डी०डब्ल्यू०डी०पी० गढ़वाल क्षेत्र, मुनिकरीली	17.05.24	09.06.24	07.08.24	12.08.24	11.09.24	11.10.24	12.11.24	10.12.24	10.01.25	10.02.25	10.03.25	16.04.25
3.	सी-27	परियोजना निदेशक, यू०डी०डब्ल्यू०डी०पी० कुमाऊँ क्षेत्र, हल्द्वानी	10.05.24	11.06.24	12.07.24	अप्राप्त	14.04.25							
4.	261	उत्तराखण्ड जलवायु अनुकूल वारानी कृषि परियोजना, UCRRFP रुद्रप्रयाग प्रभाग	अप्राप्त	अप्राप्त	11.07.24	13.08.24	अप्राप्त	10.10.24	12.11.24	11.12.24	13.01.25	10.02.25	10.03.25	17.04.25
5.	265	उप निदेशक, यू०डी०डब्ल्यू०डी०पी० (पी०एम०यू०) देहरादून	अप्राप्त	11.06.24	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	14.10.24	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
6.	266	उत्तराखण्ड जलवायु अनुकूल वारानी कृषि परियोजना, UCRRFP टिहरी प्रभाग	14.05.24	04.06.24	05.08.24	05.08.24	11.09.24	अप्राप्त						

क्र. सं.	एफ. आर. डी. कोड	प्रभाग/वृत्त	2024-25 मासिक लेखाओं की प्राप्ति												
			अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च	
7	267	उत्तराखण्ड जलवायु अनुकूल वारसी कृषि परियोजना UCRREFP पीड़ी प्रभाग	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
8	268	उत्तराखण्ड जलवायु अनुकूल वारसी कृषि परियोजना UCRREFP उत्तरकाशी प्रभाग	अप्राप्त	15.06.24	अप्राप्त	अप्राप्त	11.09.24	11.10.24	12.11.24	10.12.24	10.01.25	10.02.25	10.03.25	16.04.25	
9	273	उत्तराखण्ड जलवायु अनुकूल वारसी कृषि परियोजना UCRREFP नैनीताल प्रभाग	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	05.08.24	अप्राप्त	10.10.24	अप्राप्त	अप्राप्त	13.01.25	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	
10	274	उप परियोजना निदेशक पी०एफ०के०एस०वाई० WDC 02 पिथौरागढ़ प्रभाग	अप्राप्त	11.06.24	12.07.24	14.08.204	11.09.24	14.10.24	13.11.24	11.12.24	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	17.04.25	
11	275	उत्तराखण्ड जलवायु अनुकूल वारसी कृषि परियोजना UCRREFP अल्मोडा प्रभाग	14.05.24	13.06.24	12.07.24	12.08.24	11.09.24	अप्राप्त	13.11.24	11.12.24	13.01.25	अप्राप्त	अप्राप्त	16.04.25	
जलागम प्रभाग के नियत तिथि के बाद प्राप्त होने वाले लेखाओं का योग			10	09	08	06	10	08	10	08	08	07	07	04	

परिशिष्ट-6

आय-व्यय के आकड़ों का मिलान हेतु विभागीय आँकड़े नहीं प्रेषित करने वाले वन एवं जलागम प्रभागों की सूची
(प्रस्तर-3 भाग प्रथम)

क्रम संख्या	एफ०आर० डी० कोड	वृत्त/प्रभाग	पता
1.	021	प्रभागीय वनाधिकारी	टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी
2.	023	उप वन संरक्षक	भूमि संरक्षण वन प्रभाग, उत्तरकाशी
3.	024	प्रभागीय वनाधिकारी	टिहरी डैम-1, नई टिहरी
4.	026	प्रभागीय वनाधिकारी	टिहरी डैम-2, उत्तरकाशी
5.	041	प्रभागीय वनाधिकारी	गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।
6.	044	प्रभागीय वनाधिकारी	अलकनंदा भूमि संरक्षण वन प्रभाग, गोपेश्वर
7.	081	प्रभागीय वनाधिकारी	पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़
8.	082	प्रभागीय वनाधिकारी	बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर
9.	083	प्रभागीय वनाधिकारी	अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा
10.	084	प्रभागीय वनाधिकारी	सिविल सोयम अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा
11.	085	प्रभागीय वनाधिकारी	चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत
12.	111	प्रभागीय वनाधिकारी	केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग, गोपेश्वर
13.	112	उप वन संरक्षक	नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, जोशीमठ, चमोली
14.	121	प्रभागीय वनाधिकारी	कालागढ़ टाईगर रिजर्व प्रभाग, लैंसडौन
15.	151	प्रभागीय वनाधिकारी	लैंसडौन वन प्रभाग, लैंसडौन
16.	164	प्रभागीय वनाधिकारी	भूमि संरक्षण वन प्रभाग, रानीखेत
17.	182	प्रभागीय वनाधिकारी	तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी
18.	184	प्रभागीय वनाधिकारी	तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर, नैनीताल
19.	185	प्रभागीय वनाधिकारी	रामनगर वन प्रभाग, रामनगर
20.	192	प्रभागीय वनाधिकारी	अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट
21.	301	वन वर्धनिक	साल क्षेत्र, हल्द्वानी
22.	सी-05	मुख्य वन संरक्षक	गढ़वाल एवं प्रशासन पौड़ी
23.	सी-14	वन वर्धनिक	हिल रीजन, नैनीताल

क्रम सं०	एफ०आर० डी० कोड	वृत्त/प्रभाग	पता
24.	सी-32	उप निदेशक	गंगोत्री, राष्ट्रीय पार्क, उत्तरकाशी
25.	सी-33	उप निदेशक	गोविन्द वन्य जीव विहार, पुरोला
26.	सी-34	निदेशक	राजाजी राष्ट्रीय पार्क, देहरादून
27.	सी-35	निदेशक	कार्बेट टाइगर रिजर्व, रामनगर, उत्तराखण्ड (नैनीताल)
28.	सी-36	निदेशक	उत्तराखण्ड वानिकी प्रशिक्षण अकादमी, हल्द्वानी, (नैनीताल)
29.	सी-38	वन संरक्षक	पश्चिमी वृत्त, हल्द्वानी
30.	सी-27	परियोजना निदेशक	परियोजना निदेशक, यू०डी०डब्ल्यू०डी०पी० कुमाऊँ क्षेत्र, हल्द्वानी
31.	265	उप परियोजना निदेशक	उप निदेशक, यू०डी०डब्ल्यू०डी०पी० (पी०एम०यू०) देहरादून
32.	266	उप परियोजना निदेशक	उत्तराखण्ड जलवायु अनुकूल वारानी कृषि परियोजना UCRRFP टिहरी प्रभाग
33.	267	उप परियोजना निदेशक	उत्तराखण्ड जलवायु अनुकूल वारानी कृषि परियोजना UCRRFP पौड़ी प्रभाग
34.	273	उप परियोजना निदेशक	उत्तराखण्ड जलवायु अनुकूल वारानी कृषि परियोजना UCRRFP नैनीताल प्रभाग

परिशिष्ट-7

नियत तिथि के बाद मिलान कराने वाले वन एवं जलागम प्रभागों की सूची

(प्रस्तर-3 भाग प्रथम)

क्रम संख्या	एफ०आर० डी० कोड	वृत्त/प्रभाग	पता
1.	025	प्रभागीय वनाधिकारी	नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, नरेन्द्रनगर
2.	042	प्रभागीय वनाधिकारी	बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर
3.	152	प्रभागीय वनाधिकारी	भूमि संरक्षण वन प्रभाग, लैंसडौन
4.	154	प्रभागीय वनाधिकारी	भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी
5.	155	प्रभागीय वनाधिकारी	हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार
6.	161	प्रभागीय वनाधिकारी	अतिरिक्त भूमि संरक्षण वन प्रभाग, रामनगर, नैनीताल
7.	162	प्रभागीय वनाधिकारी	भूमि संरक्षण वन प्रभाग, नैनीताल
8.	181	प्रभागीय वनाधिकारी	हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी
9.	194	प्रभागीय वनाधिकारी	टौन्स वन प्रभाग, पुरौला, उत्तरकाशी
10.	266	उप परियोजना निदेशक	यू०डी०डब्ल्यू०डी०पी०, फेज-2, थत्यूड, टिहरी
11.	267	उप परियोजना निदेशक	यू०डी०डब्ल्यू०डी०पी०, फेज-2, पौड़ी

परिशिष्ट-8

मासिक लेखों के साथ वर्गीकृत सार की मूल प्रति न भेजने वाले प्रभागों की सूची
(प्रस्तर-4 भाग प्रथम)

क्रम संख्या	एफ०आर० डी० कोड	वृत्त/प्रभाग	पता
1.	026	प्रभागीय वनाधिकारी	टिहरी डैम-2, उत्तरकाशी
2.	081	प्रभागीय वनाधिकारी	पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़
3.	082	प्रभागीय वनाधिकारी	बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर
4.	084	प्रभागीय वनाधिकारी	सिविल सोयम अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा
5.	085	प्रभागीय वनाधिकारी	चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत
6.	164	प्रभागीय वनाधिकारी	भूमि संरक्षण वन प्रभाग, रानीखेत
7.	181	प्रभागीय वनाधिकारी	हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी
8.	182	प्रभागीय वनाधिकारी	तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी
9.	184	प्रभागीय वनाधिकारी	तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर, नैनीताल
10.	185	प्रभागीय वनाधिकारी	रामनगर वन प्रभाग, रामनगर
11.	194	प्रभागीय वनाधिकारी	टौन्स वन प्रभाग, पुरौला, उत्तरकाशी
12.	सी-05	मुख्य वन संरक्षक	गढ़वाल एवं प्रशासन पौड़ी
13.	सी-35	निदेशक	कार्बेट टाइगर रिजर्व, रामनगर, उत्तराखण्ड (नैनीताल)
14.	सी-36	निदेशक	उत्तराखण्ड वानिकी प्रशिक्षण अकादमी, हल्द्वानी, (नैनीताल)
15.	सी-38	वन संरक्षक	पश्चिमी वृत्त, हल्द्वानी
16.	267	उप परियोजना निदेशक	उत्तराखण्ड जलवायु अनुकूल वारानी कृषि परियोजना UCRRFP पौड़ी प्रभाग

परिशिष्ट-9

मासिक लेखों के साथ संलग्न वर्गीकृत सार के अन्त में दिया जाने वाला प्रमाण-पत्र

1. मैं प्रमाणित करता हूँ कि (जहां तक मैं खातों व वाउचरों की परीक्षा द्वारा सुनिश्चित करने में समर्थ रहा और सम्पादित कार्यों, जिन्हें मैं देख सका, व्यक्तिगत निरीक्षण द्वारा सुनिश्चित करने में समर्थ रहा) व्यय जो इस लेखा के नामे लिखा गया है, को सरकार के हितों का उचित ध्यान रखते हुए, टाला नहीं जा सकता था। मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि जहां तक मुझे जानकारी और विश्वास है इस खाते में जो भुगतान प्रविष्ट किये गये हैं वे उचित रीति से उन पक्षों को किये गये हैं जो उन्हें प्राप्त करने के अधिकारी हैं। वेतन और यात्रा भत्तों तथा वापसी एवं अग्रिमों के भुगतानों के लिये सभी वाउचर, 1000 की धनराशि के अन्य भुगतानों के वाउचर एवं समस्त मदों जिन्हें अन्य विभागों के साथ खाता Book Transfer द्वारा समायोजित किया गया हो, के लिए वाउचर उस लेखा से संबद्ध किये गये हैं। मैंने यथासंभव अन्य धनों के लिये वाउचरों को प्राप्त कर लिया है और मैं व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हूँ कि उन्हें इस प्रकार से नष्ट कर दिया गया है कि उनको पुनः प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है।
2. मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि सभी वस्तुएं, जो इस प्रपत्र से संबद्ध किये गये वाउचरों में ब्यौरेवार दी गई हैं और जो इस कार्यालय में रखी गयी हैं, संयुक्त रूप से अच्छी स्थिति में प्राप्त की गई हैं और भण्डार पंजिका में अभिलिखित की गई हैं। मात्राएं सही हैं और किस्म अच्छी है, भुगतान की गई दरें स्वीकृत बाजार दरों से अधिक नहीं हैं। दोहरा भुगतान रोकने के लिये भुगतान की उचित टिप्पणियाँ सम्बन्धित मांग-पत्र और बीजकों के सम्मुख अभिलिखित कर दी गई हैं।
3. मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि इस प्रपत्र से सम्बद्ध प्रपत्र एवं वाउचरों में विस्तृत रूप से दी गई दरें संविदा बन्ध-पत्र में निर्दिष्ट दरों के संदर्भ में सही है।
4. मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि पशु जिनके लिये पारितोषक आहरित किये गये हैं, को वस्तुतः नष्ट कर दिया गया है और मेरे सामने प्रस्तुत किये गये हैं और यह कि उनकी खोपड़ियों को, जैसा कि सरकार ने आदेश दिया है, दोहरा भुगतान रोकने के लिये तोड़ दिया गया है।
5. यह भी प्रमाणित करता हूँ कि किये गये आंशिक भुगतान किये गये कार्य के अनुमानित मूल्य द्वारा आच्छादित हैं।
- 6- मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि अधीनस्थ कर्मचारियों जिन्हें कार्यालय प्रासंगिक व्यय के नामे लिखा गया है, को वस्तुतः रखा गया एवं उन्हें भुगतान किया गया है तथा उनके अंगूठा निशान वितरण अधिकारियों द्वारा प्रमाणित किये गये हैं।
दिनांक.....

प्रभाग का प्रभारी

परिशिष्ट-10

वन/जलागम प्रभागों की सूची जिनके द्वारा दिये गये वन अग्रिम का समायोजन/वसूली लम्बित है

(प्रस्तर-6 भाग प्रथम)

क्रम सं०	एफ0आर0 डी0कोड	डी०डी०ओ०	वृत्त / प्रभाग	धनराशि रूपये में
1.	024	प्रभागीय वनाधिकारी	टिहरी डैम-1, नई टिहरी	4.70
2.	025	प्रभागीय वनाधिकारी	नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, नरेन्द्रनगर	0.39
3.	044	प्रभागीय वनाधिकारी	अलकनंदा भूमि संरक्षण वन प्रभाग, गोपेश्वर	0.09
4.	045	प्रभागीय वनाधिकारी	रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग	0.47
5.	083	प्रभागीय वनाधिकारी	अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा	4.98
6.	085	प्रभागीय वनाधिकारी	चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत	3703
7.	121	उप वन संरक्षक	कालागढ़ टाईगर रिजर्व, लैंसडौन	25488.15
8.	152	प्रभागीय वनाधिकारी	भूमि संरक्षण वन प्रभाग, लैंसडौन	8.50
9.	161	प्रभागीय वनाधिकारी	अतिरिक्त भूमि संरक्षण वन प्रभाग, रामनगर,	9.00
10.	163	प्रभागीय वनाधिकारी	नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल	68.65
11.	164	प्रभागीय वनाधिकारी	भूमि संरक्षण वन प्रभाग, रानीखेत	135.37
12.	182	प्रभागीय वनाधिकारी	तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी	66572.86
13.	183	प्रभागीय वनाधिकारी	तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, विकास भवन रूद्रपुर	0.65
14.	सी-32	उप निदेशक	गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क, उत्तरकाशी	179.00
15.	सी-35	निदेशक	कार्बेट टाइगर रिजर्व रामनगर, (नैनीताल)	2934.00
			कुल योग	99109.81

परिशिष्ट-11

मासिक लेखों के साथ सी०सी०एल०/डी०सी०एल० पास बुक की प्रति संलग्न न करने वाले को प्रभागों की सूची

(प्रस्तर- 8 भाग प्रथम)

क्रम सं०	एफ०आर०. डी०कोड	वृत्त/प्रभाग	पता
1.	026	प्रभागीय वनाधिकारी	टिहरी डैम-2, उत्तरकाशी
2.	081	प्रभागीय वनाधिकारी	पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़
3.	082	प्रभागीय वनाधिकारी	बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर
4.	084	प्रभागीय वनाधिकारी	सिविल सोयम अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा
5.	085	प्रभागीय वनाधिकारी	चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत
6.	164	प्रभागीय वनाधिकारी	भूमि संरक्षण वन प्रभाग, रानीखेत
7.	181	प्रभागीय वनाधिकारी	हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी
8.	182	प्रभागीय वनाधिकारी	तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी
9.	184	प्रभागीय वनाधिकारी	तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर, नैनीताल
10.	185	प्रभागीय वनाधिकारी	रामनगर वन प्रभाग, रामनगर
11.	194	प्रभागीय वनाधिकारी	टौन्स वन प्रभाग, पुरौला, उत्तरकाशी
12.	सी-05	मुख्य वन संरक्षक	गढ़वाल एवं प्रशासन, पौड़ी
13.	सी-35	निदेशक	कार्बेट टाइगर रिजर्व, रामनगर, उत्तराखण्ड (नैनीताल)
14	सी-36	निदेशक	उत्तराखण्ड वानिकी प्रशिक्षण अकादमी, हल्द्वानी, (नैनीताल)
15	सी-38	वन संरक्षक	पश्चिमी वृत्त, हल्द्वानी
16	267	उप परियोजना निदेशक	उत्तराखण्ड जलवायु अनुकूल वारानी कृषि परियोजना UCRRFP पौड़ी प्रभाग

परिशिष्ट-12

वन जमा आय-व्यय विवरण प्रपत्र (ई-23) को मासिक लेखों के साथ संलग्न न करने वाले वन प्रभागों की सूची
(प्रस्तर-09 भाग प्रथम)

क्रम सं०	एफ०आर० डी० कोड	वृत्त/प्रभाग	पता
1.	026	प्रभागीय वनाधिकारी	टिहरी डैम-2, उत्तरकाशी
2.	081	प्रभागीय वनाधिकारी	पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़
3.	082	प्रभागीय वनाधिकारी	बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर
4.	084	प्रभागीय वनाधिकारी	सिविल सोयम अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा
5.	085	प्रभागीय वनाधिकारी	चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत
6.	164	प्रभागीय वनाधिकारी	भूमि संरक्षण वन प्रभाग, रानीखेत
7.	181	प्रभागीय वनाधिकारी	हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी
8.	182	प्रभागीय वनाधिकारी	तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी
9.	184	प्रभागीय वनाधिकारी	तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर, नैनीताल
10.	185	प्रभागीय वनाधिकारी	रामनगर वन प्रभाग, रामनगर
11.	194	प्रभागीय वनाधिकारी	टौन्स वन प्रभाग, पुरौला, उत्तरकाशी
12.	सी-05	मुख्य वन संरक्षक	गढ़वाल एवं प्रशासन पौड़ी
13.	सी-35	निदेशक	कार्बेट टाइगर रिजर्व, रामनगर, उत्तराखण्ड (नैनीताल)
14	सी-36	निदेशक	उत्तराखण्ड वानिकी प्रशिक्षण अकादमी, हल्द्वानी, (नैनीताल)
15	सी-38	वन संरक्षक	पश्चिमी वृत्त, हल्द्वानी
16	267	उप परियोजना निदेशक	उत्तराखण्ड जलवायु अनुकूल वारानी कृषि परियोजना UCRRFP पौड़ी प्रभाग

परिशिष्ट-13

मासिक लेखों में रोकड़ बही (ई-7) में अनुदान संख्या/मुख्य लेखा शीर्ष न दर्शाने वाले वन प्रभागों की सूची
(प्रस्तर- 10 भाग प्रथम)

क्रम सं०	एफ०आर० डी० कोड	वृत्त/प्रभाग	पता
1.	026	प्रभागीय वनाधिकारी	टिहरी डैम-2, उत्तरकाशी
2.	081	प्रभागीय वनाधिकारी	पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़
3.	082	प्रभागीय वनाधिकारी	बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर
4.	084	प्रभागीय वनाधिकारी	सिविल सोयम अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा
5.	085	प्रभागीय वनाधिकारी	चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत
6.	164	प्रभागीय वनाधिकारी	भूमि संरक्षण वन प्रभाग, रानीखेत
7.	181	प्रभागीय वनाधिकारी	हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी
8.	182	प्रभागीय वनाधिकारी	तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी
9.	184	प्रभागीय वनाधिकारी	तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर, नैनीताल
10.	185	प्रभागीय वनाधिकारी	रामनगर वन प्रभाग, रामनगर
11.	194	प्रभागीय वनाधिकारी	टौन्स वन प्रभाग, पुरौला, उत्तरकाशी
12.	सी-05	मुख्य वन संरक्षक	गढ़वाल एवं प्रशासन पौड़ी
13.	सी-35	निदेशक	कार्बेट टाइगर रिजर्व, रामनगर, उत्तराखण्ड (नैनीताल)
14	सी-36	निदेशक	उत्तराखण्ड वानिकी प्रशिक्षण अकादमी, हल्द्वानी, (नैनीताल)
15	सी-38	वन संरक्षक	पश्चिमी वृत्त, हल्द्वानी
16	267	उप परियोजना निदेशक	उत्तराखण्ड जलवायु अनुकूल वारानी कृषि परियोजना UCRRFP पौड़ी प्रभाग

परिशिष्ट-14

मासिक लेखों के साथ अनावश्यक रूप से आयकर/बिक्रीकर एवं स्टाम्प शुल्क शामिल करने वाले प्रभागों की सूची

(प्रस्तर-11 भाग प्रथम)

क्रम सं०	एफ०आर० डी० कोड	वृत्त/प्रभाग
		वन प्रभाग
1.	-	शून्य

परिशिष्ट-15

एफ० यू० श्रेणी सेवानिवृत्त कर्मचारियों (वन विभाग) के ऋणात्मक प्रकरणों का वर्ष 2024-25 तक विवरण''

(प्रस्तर-12 बिन्दु-1 भाग प्रथम)

क्र० सं०	अभिदाता का नाम	लेखा संख्या	विभाग का नाम	प्रकरण संज्ञान में आने का माह	ऋणात्मक राशि (रुपये में)
1.	श्री किशोरी लाल	FU-12352	प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी	03/2013	28,816/-
2.	श्री सुरेश चन्द्र भट्ट	FU-13099	प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल	10/2023	5,97,032/-
				योग	6,25,848/-

परिशिष्ट-16
सा०भ०नि० खाते में धनराशि ऋणात्मक प्रदर्शित होने वाले कर्मचारियों की सूची
(प्रस्तर-1.2 बिन्दु-7 भाग प्रथम)

Sl. No.	GPF Series	GPF_NO	EMP_NAME	DMN_DSCRPTN	DDO_ADRS1	DDO_ADRS2	DDO_ADRS3	DDO_ID	TOTAL
1	FU	13099	SURESH CHANDRA BHATT	DIVISIONAL FOREST OFFICER	DIVISIONAL FOREST OFFICER ADDITIONAL	SOIL CONSERVATION DIVISION	RAMNAGAR	36174255	-6,61,347.00
2	FU	14373	INDRA SINGH NEGI	DIVISIONAL FOREST OFFICER	NANDADEV I NATIONAL PARK, JOSHIMATH	CHAMOLI	40024260	40024260	-24,745.00
3	FU	14951	DHIR SINGH	DIVISIONAL FOREST OFFICER	KEDARNATH WILDLIFE DIVISION	GOPESWAR	CHAMOLI	40004256	-1,37,997.00
4	FU	15554	DAYA LAL	DEPUTY CONSERVATOR OF FOREST	FORESTRY DIVISION	UTTARKASHI	41004256	41004256	-4,89,318.00
5	FU	16803	NAGENDRA KUMAR THAPLIYAL	DIVISIONAL FOREST OFFICER	FOREST DIVISION	LANSDOWNE	KOTDWAR	56004256	-76,243.00
6	FU	16989	RAJENDRA SINGH BISHT	DIVISIONAL FOREST OFFICER	FOREST DIVISION	ALMORA	37004257	37004257	-48,631.00
7	FU	17784	DIWAN SINGH ADHIKARI	CONSERVATOR OF FOREST	CONSERVATOR OF FOREST	WESTERN CIRCLE	NAINITAL	36004322	-1,78,790.00
8	FU	17890	TRILOK SINGH BISHT	DEPUTY CONSERVATOR OF FOREST	HALDWANI FOREST DIVISION	HALDWANI (NAINITAL)	07004258	07004258	-46,104.00
9	FU	18601	DHARAM SINGH	DIVISIONAL FOREST	NAINITAL	NAINITAL	36004255	36004255	-1,89,753.00

10	FUA	19466	BONAL GAJPAL LAL ARYA	OFFICER DIVISIONAL FOREST OFFICER	NAINITAL			36004255	-64,728.00
11	FUA	20282	PRAMOD KUMAR ARYA	OFFICER DIVISIONAL FOREST OFFICER	DEHRADUN			01004257	-21,341.00
12	FUA	20440	MAHENDRA RAM ARYA	OFFICER DIVISIONAL FOREST OFFICER	NAINITAL			36004255	-3,13,908.00
Total									22,52,905.00

परिशिष्ट-17

वित्तीय वर्ष 2024-25 में वन विभाग की लेखा परीक्षा के दौरान लेखाओं में पायी गयी महत्वपूर्ण वित्तीय अनियमितताएँ
(भाग द्वितीय)

FV-ID	Name of auditee	OBS number	Observation Title	Amount	Materiality
FV-97569	DFO TEHRI DAM FOREST DIVISION FIRST	OBS-1469016	वित्तीय स्वीकृतियों से संबन्धित प्रकरणों में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली एवं शासनादेशों का उल्लंघन कर ₹2.32 करोड़ के कार्यों को किया जाना।	2,32,00,000	Medium
		OBS-1469033	राजस्व प्राप्ति के लक्ष्यों के सापेक्ष 36.03 लाख कम वसूली।	3603000	Medium
FV-104583	DFO Narendra Nagar Forest Division Narendra Nagar		प्रस्तर-1- लीसा विक्री नीति के विपरित लीसा विक्री के परिणामस्वरूप ₹.676.47 लाख की राजस्व की हानि	67646752	High
			प्रस्तर-2- ₹ 6.83करोड़ का लीज प्रीमियम एवं लीज रेंट पिटकुल से न लिया जाना।	68310020	High
		OBS-1665925	प्रस्तर-3- जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत कढ़वाल से सुरकण्डा देवी रज्जू मार्ग (रोप वे) के निर्माण के सम्बंध में।	0	High
			प्रस्तर-4- Parking of fund amounting to Rs.14.84 lakh under UFRMP.	1484094	High
			प्रस्तर-5- Difference in expenses amounting to Rs. 956.12 lakh in ERM component	95611825	High
			प्रस्तर-6 Non-achieving of financial targets under amounting	26956918	High

			to Rs.269.57 lakh under UFRMP.					
			प्रस्तर-7 Unauthorized expenditure of Rs. 25.19 lakh			2519091	High	
			प्रस्तर-8 Contradiction in data of UFRMP and DMU under ERM component			0	High	
			प्रस्तर-9- उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली के विरुद्ध रुपए 48.28 लाख के कार्य बिना निविदा आमंत्रित किए कराया जाना।			4828451	High	
FV-90445	DFO Bageshwar Forest Division Bageshwar	OBS-1386900 OBS-1386902 OBS-1386903 OBS-1386924 OBS-1386932	क्रय नियमावली के विरुद्ध ₹24.33 लाख के कार्य किया जाना। वन पंचायतों को प्रदत्त धनराशि ₹7.00 लाख के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त न किया जाना। अनाधिकृत व्यय ₹13.72 लाख। कोटेशन पत्रावलियों में पारदर्शिता परिलक्षित न होना। उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के नियमों का उल्लंघन।			24,33,000 7,00,000 13,72,000 0 0	Medium Medium Medium Medium Medium	
		OBS-1386936 OBS-1386939 OBS-1386941	सक्षम अधिकारी से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना ₹49.87 लाख के निर्माण कार्यों को किया जाना। प्रबन्ध योजना के सुचारु रूप से कार्य न करने के कारण लीसा मद में ₹21.95 लाख के राजस्व की कम प्राप्ति। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावकारिता।			49,87,350 21,95,000 0	Medium Medium Medium	
FV-94365	DFO Civil Soyam	OBS-	कैम्पा बजट से नमामि गंगे के वृक्षारोपण कार्यों पर ₹0 101.34 लाख का			1,00,00,000	High	

	Forest Division Pauri	1418084 OBS- 1422406 OBS- 1422417	अनियमित व्यय किया जाना। अनियोजित आयोजना के कारण एकीकृत वन चौकी का निर्माण कार्य प्रारम्भ न किया जाना। वन प्रभाग के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावकारिता।	0 0	Low Medium
FV-87923	DFO Chakrata Forest Division Chakrata	OBS- 1355664 OBS- 1355687 OBS- 1355702 OBS- 1355718 OBS- 1355732	क्रय नियमावली एवं शासनदेशों का उल्लंघन कर कोटेशन के आधार पर ₹30.90 लाख की सामग्री का क्रय किया जाना। वन पंचायतों को अवमुक्त धनराशि ₹59.08 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न किया जाना। प्रबन्ध योजना के सुचारु रूप से कार्य न करने के कारण लीसा मद में लगभग ₹ 4.37 लाख के राजस्व की क्षति। वन प्रकाष्ठ को समय से निस्तारण न किए जाने के कारण वित्तीय वर्ष 2023-24 के अन्त तक प्रभाग को ₹129.00 लाख की राजस्व क्षति। लीजधारकों से निर्धारित लीज राशि जमा न करवाने के कारण ₹ 0.76 लाख की राजस्व क्षति।	30,90,000 59,08,000 4,37,000 1,29,00,000 76,000	Medium Medium Medium Medium Medium
FV-96334	DFO Soil Conservation Forest, Uttarkashi	OBS- 1460349 OBS- 1460352 OBS- 1460353 OBS-	बिना निविदा के ₹0 51.28 लाख के अग्रिम मृदा कार्यों को किया जाना। अनुरक्षण मद से पूंजीगत व्यय में ₹0 12.42 लाख का ब्यावर्तन किया जाना। कार्यों को टुकड़ों में विभाजित कर ₹0 29.39 लाख का व्यय किया जाना। कैम्पा की वार्षिक कार्ययोजना के अनुरूप प्राप्त बजट ₹0 162.99 लाख	51,28,000 12,42,000 29,39,000 1,62,99,000	Medium Medium Medium Medium

		1460355	की धनराशि का उपयोग नहीं किया जाना।			
		OBS-1460356	कैम्पा बजट से नमामि गंगे योजना के वृक्षारोपण कार्यों पर ₹0 4.13 करोड़ का अनियमित व्यय किया जाना।		4,13,00,000	Medium
FV-99165	DFO Add Soil Conservation Division Ramnagar Nainital	OBS-1466651	बाँस एवं बायोफ्यूल प्रजातियों के रोपण में अग्रिम मृदा कार्य में हुये ₹0 20.40 लाख का निष्फल व्यय।		20,40,000	Medium
		OBS-1466759	बिना निविदा के ₹0 96.86 लाख के वानिकी कार्यों को किया जाना।		96,00,000	High
		OBS-1684070	Allowing of forest workings without Management and Working Plans		0	High
		OBS-1684075	Non-implementation of National Transit Pass System within prescribed time		0	Medium
		OBS-1684092	Failure in providing timely compensation (ex-gratia) of Human-wildlife conflicts		0	High
		OBS-1684095	Unnecessary expenditure (₹14.11 crore) on construction of boundary wall for proposed Haldwani Zoo and Safari under PPP		14,13,00,000	High
		OBS-1684102	Hiring of outsourcing Staff/Labour against the directives/policy of the State Government and non-taking of action against the officers responsible		0	High
		OBS-1684119	Failure in ensuring compliance of the Uttarakhand Procurement Rules for execution of works		0	High
		OBS-	No action on the officers/employee responsible for		0	High

1684121	execution of sub-standard/ below norms, forestry works			
OBS-1684131	Non-compliance of Government order and consequent directives of Hon'ble High Court for posting of Range Officers in Territorial Forest Ranges	0		High
OBS-1684144	Un-orthodox use of Staff for Accounting and Management of Finances	0		Medium
OBS-1684135	Inordinate Cadre Management of the IFS Officers	0		Medium
OBS-1684130	Non-compliance of provisions of Uttarakhand Annual Transfer for Public Servants Act 2017	0		High
OBS-1684160	Improper implementation of new programme on Forest Landscape Restoration (FLR) under CAMPA	0		High
OBS-1684165	Non-update of required data in e-HRMS	0		Medium
OBS-1684171	Commencement/ execution of works (₹25.11 crore) without obtaining Administrative and Financial sanctions from the competent authority	25,11,40,000		High
OBS-1684178	Excessive promotions into the Forester Cadre	0		High
OBS-1684188	Evasion of GST (₹2.57 crore) by two manpower supplier firms	2,57,15,332		High
OBS-1684203	No centralized details for all Human Resources	0		Medium
OBS-	Massive transfers of forest land for development projects	0		High

FV-97568	DFO Tehri Dam Ind Division Uttarkashi	1396678	एकीकृत वन चौकी का निर्माण कार्य कराया जाना। बिना टेंडर के ₹0 72.66 लाख के अग्रिम मूदा कार्यों को किया जाना।	72,66,000	High
		OBS- 1456518	सहायित प्राकृतिक पुनरोत्पादन (ANR) कार्यों को टुकड़ों में विभाजित कर ₹0 24.08 लाख का व्यय किया जाना।	24,08,000	Medium
		OBS- 1456522	वृक्षारोपण कार्यों में वन प्रभाग द्वारा कैम्पा बजट से नमामि गंगे योजना के नाम से ₹0 165.36 लाख का अनियमित व्यय किया जाना।	1,65,00,000	Medium
		OBS- 1456527	विभाग की अतिक्रमित भूमि पर कब्जे के लिये यथोचित कार्यवाही न किया जाना।	0	High
FV- 108461	DFO Uttarkashi Forest Division Uttarkashi	OBS- 1693041	Devastating impacts on the ecology of Bhagirathi River and Bhairav Ghati due to negligence of Government.	7,37,56,80,00	High
		OBS- 1693529		0	High
		OBS- 1695160	जायका से प्राप्त धनराशि से गैर अनुमन्य कार्य कराया जाना तथा वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चान किया जाना।	2,00,00,000	Medium
		OBS- 1695173	लीसा विक्री नीति के विपरीत लीसा क्रेताओं को अदेय लाभ दिये जाने के परिणामस्वरूप ₹. 2.34 करोड़ की राजस्व हानि।	2,33,71,000	High
		OBS- 1704450	प्रतिपूक वनीकरण कार्य से इतर अन्य गतिविधियों पर ₹. 23.42 लाख का व्यय किया जाना।	23,42,979	Medium
		OBS- 1704451	हिम तेंदुआ संरक्षक केंद्र की स्थापना एवं हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र के अंतर्गत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फेसिलिटी ₹. 610.26 लाख का निर्माण नियमानुसार न किया जाना।	61,26,000	Medium
		OBS- 1704452	गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस, जेम GeM व्यवस्था लागू न कर ₹. 18.45 लाख का व्यय किया जाना।	18,42,397	Medium
FV-88396	Director Rajaji	OBS-	बिना वित्तीय /प्रशासनिक स्वीकृति के निविदा और कार्यदिश निर्गत कर ₹0	32,00,000	Medium

FV-88396	Tiger Reserve Dehradun	1336424	32.08 लाख के सोलर फेंसिंग के कार्य किया जाना। उच्चप्राधिकारी के स्वीकृति से बचने के लिए कार्यों को टुकड़ों में कोटेशन से किया गया।			
	Director Rajaji Tiger Reserve Dehradun	OBS- 1336424	बिना वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति के निविदा और कायदेशि निर्मित कर रु0 32.08 लाख के सोलर फेंसिंग के कार्य किया जाना। उच्चप्राधिकारी के स्वीकृति से बचने के लिए कार्यों को टुकड़ों में कोटेशन से किया गया।	32,00,000	Medium	
		OBS- 1337731	लीज नवीनीकरण नहीं किए जाने कारण राजस्व (lease rent) के रूप में रु0 2.77 करोड़ की वसूली स्वामी सुखदेवानन्द ट्रस्ट परमार्थ गंगाधर (स्वर्गश्रम)/प्रयोक्ता से नहीं लिया जाना और नवीनीकरण के बिना ही वन भूमि का उपयोग।	20,00,000	High	
		OBS- 1339218	लीज धारको द्वारा 9.46876 हेक्टेयर भूमि पर नवीनीकरण न किए जाने के सम्बंध में।	0	High	
		OBS- 1340139	वार्षिक प्रस्तावित कार्ययोजना के अनुरूप धनराशि व्यय न किया जाना रुपए 232.08 लाख।	2,32,08,000	High	
		OBS- 1340468	Inadmissible expenditure of Rs 10.00 lakh through CAMPA fund.	10,00,000	High	
		OBS- 1344690	उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008, वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2012 तथा राजाजी टाइगर रिजर्व की प्रबन्ध योजना का उल्लंघन करते हुये गैडीखाता/पथरी गुर्जर बस्ती में बाथरूम/शौचालय व कैटल शेड के निर्माण में रु0 9.45 करोड़ की वित्तीय अनियमितता।	9,00,00,000	High	
		OBS- 1344763	आउटसोर्स कार्मिकों का ई०पी०एफ० एवं ई०एस०आई० जमा न किये जाने के सम्बंध में।	0	High	
		OBS- 1346470	वन क्षेत्र/रेंजो में अतिक्रमण का पता लगाने/रोकने के लिए यथोचित कार्यवाही और सर्वे-सीमांकन नहीं किया जाना।	0	Medium	
		OBS-	उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के निर्देशों के विपरीत रु 37.27 लाख	37,27,000	Medium	

1349550	बिना टेंडर किए कोटेशन के माध्यम से व्यय किया जाना।			
OBS-1352046	एकीकृत (Integrated) वन चौकी निर्माण हेतु प्रमुख वन संरक्षक के दिशा-निर्देश का अनुपालन न किए जाने के सम्बंध में।	0	Low	
OBS-1352242	वन क्षेत्र में अतिक्रमण कर अवैध पार्किंग बनाना और अतिक्रमण पर यथोचित कार्यवाही नहीं किया जाना।	0	Medium	
OBS-1354573	कार्यालय की उचित निगरानी और समीक्षा के अभाव में बाह्यश्रोत श्रमिक प्रदाता फ़र्म 'यूनिक सिक्वर्टी सर्विस' द्वारा कार्मिकों का ई०पी०एफ० और ई०एस०आई० की धनराशि जमा नहीं करने से कार्मिकों की आर्थिक हानि।	0	High	
OBS-1354639	उचित निगरानी और समीक्षा के अभाव में, बाह्य श्रमिक प्रदाता फ़र्म 'उज्ज्वला श्रम सविदा सहकारी समिति' द्वारा कर्मचारियों का ई०पी०एफ०, ई०एस०आई० जमा नहीं करने से श्रमिकों को आर्थिक क्षति और फ़र्म द्वारा जीएसटी की धनराशि को जीएसटी विभाग में जमा नहीं किया जाना।	0	High	
OBS-1354760	Inadmissible expenditure of Rs. 12.76 lakh	12,76,006	Medium	
OBS-1357664	राजाजी टाइगर रिजर्व में निष्प्रयोज्य वाहनों के निस्तारण नहीं किए जाने से ₹0 9.56 लाख की राजस्व की हानि।	9,00,000	Medium	
OBS-1357834	रुपए 16.16 लाख का व्यपवर्तन।	16,15,740	Medium	
OBS-1359907	राजाजी टाइगर रिजर्व में अपंजीकृत वाहनों का संचालन किया जाना।	0	Medium	
OBS-1376314	राजाजी टाइगर रिजर्व की जी.आई.एस./के.एम.जेड. फ़ाइल के अनुसार वन सीमा के अंदर अतिक्रमण।	0	Medium	
OBS-	In the absence of TCP (Tiger Conservation Plan), amount	9,00,00,000	Medium	

FV-87920	DFO Soil Conservation Division Kalsi	1382386	of Rs 9.19 crore earned as revenue was not utilised and parked in the bank account of RTCF (Rajaji Tiger Conservation Foundation) of the RTR.		
		OBS-1364621	प्रस्तर-1: ₹ 24.51 लाख के कार्य में उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली का अनुपालन न किया जाना	24,50,600	Medium
		OBS-1364641	कोटेशन से कार्य कराये जाने में पारदर्शिता न बरता जाना।	0	Medium
		OBS-1364682	₹ 206.58 लाख के निर्माण कार्यों में वित्तीय नियमों का अनुपालन न किया जाना।	2,06,58,000	Medium
		OBS-1364714	सक्षम अधिकारी से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना ₹317.11 लाख के निर्माण कार्यों को किया जाना।	3,17,11,000	Medium
		OBS-1364738	जल्दी वन प्रकाष्ठ का समय से निस्तारण न किए जाने के कारण ₹ 3.85 लाख की राजस्व क्षति।	3,85,000	Medium
		OBS-1454758	प्रस्तर-1: वित्तीय स्वीकृतियों से संबन्धित प्रकरणों में उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली एवं शासनदेशों का उल्लंघन कर ₹ 1.78 करोड़ के कार्यों को किया जाना।	1,78,00,000	Medium
		OBS-1454775	अनाधिकृत व्यय ` 3.99 लाख।	3,99,000	Medium
		OBS-1454781	भूमि एवं जल संरक्षण कार्यों पर ` 73.86 लाख व्यय में पारदर्शिता की कमी।	73,86,000	Medium
		OBS-1454789	लीसा विदोहन कार्य में ` 3.83 करोड़ की देयता।	3,83,00,000	Medium
FV-96335	DFO Tehari Forest Division Tehri	OBS-	अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण लीसा इकाइयों को देय व्याज के रूप में `	50,00,000	Medium

	1454795	0.50	वन प्रभाग की शिथिलता के कारण टीएचडीसी से लीज रेंट एवं प्रीमियम की धनराशि 50.17 करोड़ की वसूली न किया जाना एवं जलमग्न क्षेत्र को आरक्षित वन क्षेत्र न घोषित किया जाना।	50,17,00,000	Medium
	OBS-1454802		वन भूमि हस्तांतरण के प्रकरणों में बड़ी हुई दरों पर अतिरिक्त एनपीवी 1.48 करोड़ की वसूली न किया जाना।	1,48,00,000	Medium
	OBS-1454812		प्रभागीय शिथिलता के कारण वन भूमि हस्तांतरण के एवज प्राप्त धनराशि 49.48 लाख से क्षतिपूर्क वृक्षारोपण के उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफलता।	49,48,000	Medium
FV-111583	OBS-1708629		गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस, जेम GeM व्यवस्था लागू न किए जाने के संबंध में	18,78,859	Medium
FV-111583	OBS-1709410		लीज पर दी गई जमीनों का नवीनीकरण न किये जाने से प्रतिवर्ष लीज प्रिमियम ₹ 644056 की हानि	6,44,056	Medium
	OBS-1709426		भूमि/परिसंपत्तियों पर अतिक्रमण को हटाये जाने हेतु यथोचित कार्यवाही न किया जाना।	0	Medium
	OBS-1711421		लीसा विक्री नीति के विपरीत लीसा क्रेताओं को अदेय लाभ दिये जाने के परिणामस्वरूप ₹. 17.03 लाख की राजस्व हानि।	17,00,000	High
	OBS-1712269		प्रोन्नति की तिथि अथवा अगली वेतन वृद्धि की तिथि को मूल नियम 22 (बी) (1) एवं 22 (ए)(1) के अनुसार वेतन निर्धारण कराने का विकल्प न दिये जाने संबंधी	87,000	Medium
	OBS-1715758		कार्य योजना अनुमोदन किए बिना कार्य	4,82,30,553	Medium
	OBS-1721157		वन भूमि को गैर वानिकी कार्यों हेतु भूमि हस्तांतरण के सापेक्ष ₹ 3.51 करोड़ की धनराशि जमा न कराया जाना।	3,51,25,679	Medium

FV- 112545	DFO Champawat Forest Division Champawat	OBS- 1721270	कैम्पा योजना के अंतर्गत ₹. 21.87 लाख का व्यय गैर-अनुमन्य सामग्री/कार्यों पर किया जाना	21,87,750	Medium
		OBS- 1721961	क्लास्टर फेडरेशन पर ₹ 2.27 करोड़ का निष्फल व्यय।	2,26,52,285	Medium
		OBS- 1721964	विषय:- ₹0 1.65 लाख का अनियमित व्यय।	1,65,300	Medium
		OBS- 1721971	फॉरेस्ट फायर योजना में वनाग्नि से ₹0 11,42,000 की हानि।	11,42,000	Medium
		OBS- 1722401	दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए अग्रिम मूदा कार्य एवं पौधारोपण पर अनियमित व्यय ₹. 6276529.00	62,76,529	High
		OBS- 1722407	Regarding discrepancies in expensed under ERM Component and others.	0	High
		OBS- 1738194	आंतरिक नियंत्रण प्रणाली	0	Medium
		OBS- 1737744	कैम्पा योजना के अंतर्गत ₹. 9.86 लाख का व्यय गैर-अनुमन्य सामग्री/कार्यों पर किया जाना	9,86,882	Medium
		OBS- 1737802	प्रोन्नति की तिथि अथवा अगली वेतन वृद्धि की तिथि को मूल नियम 22 (बी) (1) एवं 22 (ए)(1) के अनुसार वेतन निर्धारण करने का विकल्प न दिये जाने संबंधी	96,200	Medium
		OBS- 1738167	गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस, जेम GeM व्यवस्था लागू न किया जाना	4,58,821	Medium
		OBS- 1740162	कैम्पा योजना के अंतर्गत पौधारोपण पर ₹. 3.52 लाख का निष्फल व्यय किया जाना।	3,52,681	Medium
		OBS-	लीसा विक्री नीति के विपरीत लीसा क्रेताओं को अदेय लाभ दिये जाने के	1,52,05,568	High

1740819	परिणामस्वरूप रु. 1.52 करोड़ की राजस्व हानि		
OBS-1740866	यथा समय कार्य योजना अनुमोदन नहीं करवाये जाने के परिणामस्वरूप रु. 25.88 करोड़ राजस्व की हानि	25,87,77,299	Medium
OBS-1741446	धनराशि रु. 5.00 लाख का व्यावर्तन करते हुए डी.एम.यू. कार्यालय इमारत का विस्तारीकरण किया जाना तथा एफ.एम.यू. कार्यालयों द्वारा कार्यालय भवन के निर्माण न करने से रु.6.00 लाख का अवरोधन।	11,00,000	High
OBS-1741484	उत्तराखण्ड वन संसाधन प्रबंधन परियोजना मद से वनानि से सुरक्षा कार्यों पर रु.5.00 लाख का अमान्य व्यय।	5,00,000	High
OBS-1741911	मानक से कम जीवित पौध पर निष्फल व्यय रु. 200262/- एवं मानक से कम जीवित पौध पर धनराशि रु. 56827.00 के निष्फल व्यय	2,57,089	High
OBS-1741974	Non-furnishing of Utilization Certificates amounting to Rs. 647.73 lakh	6,47,73,305	High
OBS-1742292	Irregular expenditure of Rs. 5.05 lakh on NTFP Plantation.	5,05,352	High
OBS-1754837	Parking of fund amounting to Rs.12.30 lakh.	12,30,000	Medium
OBS-1754914	Non- Utilization of Interest amounting to Rs. 12.53 lakh	12,52,604	Medium
OBS-1754918	Mismatch of Rs. 35.41 lakh in allotment of fund.	35,41,061	Medium
OBS-1754935	क्लस्टर फेडरेशन पर रु 1.27 करोड़ का निष्फल व्यय	1,27,28,670	High
OBS-1754963	दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए अग्रिम मृदा कार्य एवं पौधारोपण पर अनियमित व्यय रु. 1649.45 लाख।	16,49,45,000	Medium

OBS-1755399	आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावकारिता।	0	Medium
OBS-1737744	कैम्पा योजना के अंतर्गत रु. 9.86 लाख का व्यय गैर-अनुमन्य सामग्री/कार्यों पर किया जाना	9,86,882	Medium
OBS-1737802	प्रोन्नति की तिथि अथवा अगली वेतन वृद्धि की तिथि को मूल नियम 22 (बी) (1) एवं 22 (ए)(1) के अनुसार वेतन निर्धारण कराने का विकल्प न दिये जाने संबंधी	96,200	Medium
OBS-1738167	गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस, जेम GeM व्यवस्था लागू न किया जाना	4,58,821	Medium
OBS-1740162	कैम्पा योजना के अंतर्गत पौधारोपण पर रु. 3.52 लाख का निष्फल व्यय किया जाना।	3,52,681	Medium
OBS-1740819	लीसा विक्री नीति के विपरीत लीसा क्रेताओं को अदेय लाभ दिये जाने के परिणामस्वरूप रु. 1.52 करोड़ की राजस्व हानि।	1,52,05,568	High
OBS-1740866	यथा समय कार्य योजना अनुमोदन नहीं करवाये जाने के परिणामस्वरूप रु. 25.88 करोड़ राजस्व की हानि।	25,87,77,299	Medium
OBS-1741446	धनराशि रु. 5.00 लाख का व्ययवर्तन करते हुए डी.एम.यू. कार्यालय इमारत का विस्तारीकरण किया जाना तथा एफ.एम.यू. कार्यालयों द्वारा कार्यालय भवन के निर्माण न करने से रु.6.00 लाख का अवरोधन।	11,00,000	High
OBS-1741484	उत्तराखण्ड वन संसाधन प्रबंधन परियोजना मद से वनाग्नि से सुरक्षा कार्यों पर रु.5.00 लाख का अमान्य व्यय।	5,00,000	High
OBS-1741911	मानक से कम जीवित पौध पर निष्फल व्यय रु. 200262/- एवं मानक से कम जीवित पौध पर धनराशि रु. 56827.00 के निष्फल व्यय	2,57,089	High
OBS-	Non-furnishing of Utilization Certificates amounting to	6,47,73,305	High

	1741974	Rs. 647.73 lakh			
	OBS-1742292	Irregular expenditure of Rs. 5.05 lakh on NTFP Plantation.		5,05,352	High
	OBS-1754837	Parking of fund amounting to Rs.12.30 lakh.		12,30,000	Medium
	OBS-1754914	Non- Utilization of Interest amounting to Rs. 12.53 lakh		12,52,604	Medium
	OBS-1754918	Mismatch of Rs. 35.41 lakh in allotment of fund.		35,41,061	Medium
	OBS-1754935	क्लस्टर फेडरेशन पर ₹ 1.27 करोड़ का निष्फल व्यय		1,27,28,670	High
	OBS-1754963	दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए अग्रिम मूदा कार्य एवं पौधरोपण पर अनियमित व्यय ₹. 1649.45 लाख		16,49,45,000	Medium
	OBS-1755399	आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावकारिता		0	Medium
FV-113454	DFO Mussoorie Forest Division Mussoorie	निविदादाताओं में हितों का टकराव(Conflict of Interest) का निविदा समिति द्वारा संज्ञान लिए बिना निविदा सम्पादन व कार्य आवंटन किया जाना। अवैध वित्तीय निविदा के आधार पर कार्य आवंटन किया जाना। अधिप्राप्ति नियमावली के विरुद्ध ₹ 76.77 लाख के कार्यों को टुकड़ों में किया जाना। कम्पा योजना के अंतर्गत ₹ 72.29 लाख का विचलन (Diversion) किया जाना।		35,26,000	High
	OBS-1769590			3,00,000	High
	OBS-1769617			76,77,600	Medium
	OBS-1769623			72,29,000	High

			सामग्री क्रय में अधिप्राप्ति के नियमों को संज्ञान में न लिया जाना।	0	Medium
	OBS-1769627		आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावकारिता।	0	Medium
	OBS-1769635		irregular and unauthorized expenditure of Rs.1,17,69,572 on outsourcing of manpower by DFO Mussoorie.	1,17,69,572	High
	OBS-1770036		इकाई द्वारा वनाग्नि से निपटने के उपार्यों व सामर्थ्य की समीक्षा के संबंध में।	0	High
	OBS-1770327		कार्ययोजना के अभाव में लक्षित राजस्व में 1.34 करोड़ की कमी।	1,34,35,966	Medium
	OBS-1783725		कार्ययोजना तैयार न किए जाने के संबंध में।	0	Medium
	OBS-1783763		आरक्षित क्षेत्र में क्षतिपूर्क वृक्षारोपण किए जाने के कारण उद्देश्यों की प्राप्ति न हो पाना के कारण निष्फल व्यय ₹ 50.91 लाख।		Medium
	OBS-1783775		वानिकी कार्यों में मानकों से कम उपलब्धताओं/ कमियों हेतु संबन्धित जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी पर कार्यवाही न किया जाना।	0	Medium
	OBS-1783812		लीसा के विक्रय पर नियमानुसार स्टाम्प शुल्क न वसूल किए जाने के कारण राजस्व क्षति ₹ 1.71 लाख।	1,71,990	Medium
	OBS-1783826		अभिवहन शुल्क पर जीएसटी वसूल न किया जाना ₹ 70558।	70,558	Medium
	OBS-1783854		विकास कार्यों हेतु किए गए पातन के वृक्षों की रॉयल्टी अदा न किया जाना।	0	Medium
	OBS-1783878		उत्तराखण्ड वन संसाधन प्रबंधन परियोजना मद से धनराशि ₹. 5.00 लाख का वनाग्नि से सुरक्षा कार्यों हेतु अमान्य आवंटन एवं ₹. 374891.00 का	5,00,000	Medium
FV-113570	DFO Civil Soim Almora Forest				

FV- 113570	Division Almora	वनाग्नि कार्यो से इतर अमान्य व्यय			Medium
		OBS- 1759997	कैम्पा निधि मे वार्षिक कार्योजना मे व्यय के सापेक्ष रु 559.08 लाख की अधिक धनराशि की मांग किया जाना।	0	Medium
		OBS- 1760075	दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए अग्रिम मृदा कार्य, पौधारोपण एवं अनुरक्षण पर निष्फल व्यय रु. 769.81 लाख।	11,16,29,000	Medium
		OBS- 1760723	दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए अग्रिम मृदा कार्य पर धनराशि रु. 268988.00 का निष्फल व्यय	2,68,988	Medium
		OBS- 1761105	क्लस्टर फेडरेशन पर रु 1.23 करोड़ का निष्फल व्यय।	1,22,71,495	Medium
		OBS- 1761124	मानक से कम जीवित पौध पर निष्फल व्यय	11,30,823	Medium
		OBS- 1761156	Non-furnishing of Utilization Certificates amounting to Rs. 336.46 lakh.	3,36,46,000	Medium
		OBS- 1761269	कैम्पा योजना के अंतर्गत रु. 5.96 लाख का व्यय गैर-अनुमन्य सामग्री/कार्यो पर किया जाना	5,96,807	Medium
		OBS- 1761389	बिना समझौता ज्ञापन एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त किये धनराशि रु. 13.50 लाख के कार्य करवाना एवं एफ.एम.यू. कोसी द्वारा धनराशि रु. 316990.00 के बिल/वाउचर्स प्रस्तुत न करना।	16,66,990	Medium
		OBS- 1761658	Irregular expenditure of Rs. 22.68 lakh on NTFP Plantation.	22,68,000	Medium
		OBS- 1761819	Mismatch of Rs. 14.66 lakh in allotment of fund	14,65,812	Medium
		OBS- 1761823	लीसा विक्री नीति के विपरीत लीसा क्रेताओं को अदेय लाभ दिये जाने के परिणामस्वरूप रु.1.46 करोड़ राजस्व हानि।	1,45,77,168	High

		OBS-1775866	आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावकारिता	0	Medium
FV-114509	DFO Soil Conservation Division, Nainital	OBS-1767439	Non-furnishing of Utilization Certificates amounting to Rs. 1111.69 lakh	11,11,69,113	Medium
		OBS-1768072	उत्तराखण्ड वन संसाधन प्रबंधन परियोजना मद से वनानि सुरक्षा कार्यों हेतु अमान्य आवंटन एवं व्यय रु. 5.00 लाख	5,00,000	Medium
		OBS-1768350	वार्षिक कार्योजना 2014-15 के अनुसार रु. 20.47 लाख के कार्यों का निष्पादन नहीं किया जाना	20,47,393	Medium
		OBS-1768958	उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के प्रावधानों के विपरीत रु. 18.95 लाख के कार्य निष्पादन किया जाना	18,94,837	Medium
		OBS-1769153	प्रभाग के अंतर्गत दो क्लस्टर फेडरेशन पर रु 3.45 करोड़ का निष्फल व्यय	3,44,80,321	Medium
		OBS-1769276	पौधरोपण पर निष्फल व्यय	7,45,000	Medium
		OBS-1770022	दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए अग्रिम मूदा कार्य, पौधरोपण एवं अनुरक्षण पर निष्फल व्यय रु. 3137.55 लाख	31,37,54,730	Medium
		OBS-1770201	आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावकारिता	0	Medium
		OBS-1770692	Irregular expenditure of Rs. 166.12 lakh on NTFP Plantation.	1,66,12,466	Medium
		FV-115231	DFO Rudraprayag Forest Division Rudraprayag	OBS-1775850	आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावकारिता
OBS-1776561	लीज पर दी गई जमीनों का नवीनीकरण/कब्जे में न लिया जाना			0	Medium

			Non- Utilization of Interest amounting to Rs. 1.59 lakh	1,58,632	Medium
			दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए अग्रिम मूदा कार्य एवं पौधारोपण पर निष्फल व्यय रु. 16.20 लाख।	16,20,100	Medium
			विषय: वित्तीय वर्ष के अंत में भारी मात्रा में विभागीय व्यय (rush of expenditure) किया जाना।	11,95,46,674	Medium
			भूमि/परिसंपत्तियों पर अतिक्रमण को हटाये जाने हेतु यथोचित कार्यवाही न किया जाना।	0	Medium
			विषय: प्रभाग द्वारा वार्षिक प्रचालन योजना [(Annual Plan of Operation (APO))] को आवश्यकतानुसार न बनाया जाना।	0	Medium
			लीसा की विक्री शर्तों के अनुसार विक्रेय नहीं किया जाना।	21,85,814	High
FV-115753	DFO Soil Conservation Division Alaknanda Gopeshwar		विषय: वित्तीय वर्ष के अंत में भारी मात्रा में विभागीय व्यय (rush of expenditure) किया जाना।	12,31,29,026	Medium
			Irregular expenditure of Rs. 160.60 lakh on NTFP Plantation.	1,60,60,112	Medium
			धनावंटन के बावजूद रु. 16.44 लाख का वार्षिक कार्योजना 2014-15 के अनुसार कार्यों का निष्पादन नहीं किया जाना।	16,43,684	Medium
			दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए अग्रिम मूदा कार्य, पौधारोपण एवं अनुरक्षण पर निष्फल व्यय रु. 1715.94 लाख।	17,15,94,297	Medium
			Non-furnishing of Utilization Certificates amounting to Rs. 123.52 lakh	1,23,51,792	Medium
			आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावकारिता।	0	Medium

				प्रभाग के अंतर्गत दो क्लस्टर फेडरेशन पर ₹ 1.81 करोड़ का निष्फल व्यय।	1,80,99,001	Medium
				गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस, जेम GeM व्यवस्था लागू न किया जाना।	55,51,507	Medium
				पौधरोपण पर निष्फल व्यय ₹ 1.88 लाख	1,88,087	Medium
				आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावकारिता की जांच में पायी गयी कमियाँ।	0	Medium
				नमूना माह के बीजक/प्रमाणक (voucher) की जांच में पायी गयी अनियमितताओं विषयक।	40,000	High
				इकाई द्वारा वनाग्नि से निपटने के उपार्यों व सामर्थ्य की समीक्षा के संबंध मे ।	0	High
				Unnecessary retention of ₹5.09 crore in Forest Deposit	5,09,00,000	High
				Irregular commencement/execution of works of ₹2.05 crore with avoidable expenditure of ₹9.53 lakh	2,14,53,000	High
				Irregular expenditure of ₹4.476 crore for hiring of outsourcing Staff/Labour against the directives/policy of the State Government and non-taking of action against the officers responsible	4,47,58,937	High
				Non-ensuring compliance of Uttarakhand Procurement Rules for execution of works costing ₹1.94 crore	1,94,24,000	High
				प्रभागीय कार्ययोजना के बिना ही त्रुटिपूर्ण राजस्व प्राप्ति के लक्ष्यों को	0	Medium
FV-117514	DFO Garhwal Forest Division Pauri					

1827714	निर्धारित किया जाना				
OBS-1827735	प्रभागीय अतिक्रमित भूमि 5.6121 हे० को खाली न कराया जाना		0		Medium
OBS-1827765	₹ 1.13 करोड़ के राजस्व क्षति के विविध प्रकरण		1,13,00,000		High
OBS-1827794	मानव-वन्यजीव संघर्षों का त्वरित समय पर मुआवजा (अनुग्रह) प्रदान न किया जाना ₹1.49 करोड़		1,49,00,000		Medium
OBS-1828705	विषय:- कैम्पा योजना के अंतर्गत रु. 3.36 लाख का गैर-अनुमत्य कार्यों पर व्यय किया जाना।		3,36,000		Medium
OBS-1828733	विषय:- रु 14.84 लाख की अधिप्राप्ति गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) से न किया जाना एवं GeM पोर्टल से की गयी अधिप्राप्ति में वित्तीय मानकों का सुनिश्चित न किया जाना।		0		Medium
OBS-1825464	वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखंड मेट्रो रेल, शहरी अवस्थापना एवं भवन निर्माण निगम को प्रत्यावर्तन की गई भूमि के संबंध में ₹ 8.46 लाख कम जमा कराया जाना।		8,45,640		Medium
OBS-1825681	Delay in deposit of revenue receipts into the Government account ₹ 23.36 lakh.		23,35,855		Medium
OBS-1825725	अवैध खनन एवं परिवहन पर कम अर्थदण्ड आरोपित किया जाने से राजस्व क्षति ₹ 11.04 लाख।		11,04,000		
OBS-1825751	वन जमा धनराशि का पुनवैध नहीं किया जाना ₹ 21.69 लाख।		21,68,811		Medium
OBS-1827037	कार्य योजना समयानुसार न तैयार किए जाने के कारण लक्ष्य के सापेक्ष कम राजस्व की प्राप्ति ₹ 13.56 करोड़।		13,55,77,777		Medium

			पौध तैयार करने पर निष्फल व्यय ₹ 32.09 लाख।		32,09,375	Medium
		OBS-1827096	उत्तराखंड वन विकास निगम से विकास कार्यों से संबन्धित लाटों की रायल्टी न लिया जाना ₹ 30.84 लाख।		30,84,092	High
		OBS-1828929	Irregular expenditure of ₹3.54 crore for hiring of outsourcing Staff/Labour against the directives/policy of the State Government.		3,53,66,225	High
		OBS-1833090	lease rent of ₹622410/- not deposited.		6,22,410	Medium
		OBS-1833148	लैन्डाना उन्मूलन पर निष्फल व्यय ₹47.26 लाख।		47,26,232	High
		OBS-1833206	प्रभागीय अतिक्रमित भूमि 49.81 हे० को खाली न कराया जाना।		0	High
		OBS-1835206	आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावकारिता की जांच में पायी गयी कमियाँ।		0	Medium
		OBS-1835311	विभागीय GSTIN की आवधिक विवरणी (GSTR-7) GST Portal पर Upload न किया जाना।		0	Medium
		OBS-1836018	वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखंड मेट्रो रेल, शहरी अवस्थापना एवं भवन निर्माण निगम को प्रत्यावर्तन की गई भूमि के संबंध में ₹ 8.46 लाख कम जमा कराया जाना।		8,45,640	Medium
		OBS-1825464	वन जमा धन राशि का पुनर्वैध नहीं किया जाना ₹267.60 लाख।		2,67,60,526	Medium
		OBS-1853353	अवैध पातन के प्रकरण में ₹ 7.54 लाख की वसूली न किया जाना		7,54,040	Medium
		OBS-1853363				
FV-119920	DFO Dehradun Forest Division Dehradun					

OBS-1853367	उत्तराखण्ड वन विकास निगम से विकास कार्यों से संबंधित लाटों की रायल्टी न लिया जाना ₹ 30.43 लाख।	30,43,577	Medium
OBS-1853828	कार्य को टुकड़ों में कराये जाने के कारण ₹ 188.45 लाख का अनियमित व्यय	1,88,45,277	High
OBS-1854061	लक्ष्य के सापेक्ष कम राजस्व की प्राप्ति ₹ 38.96 करोड़।	38,96,04,976	Medium
OBS-1854062	Loss of Government revenue (Stamp duty and Registration Fee) of ₹ 1.70 lakh due to non-execution of lease/rent agreement with the lease holders of forest land.	1,69,900	Medium
OBS-1854185	Delay in deposit of receipts into the Government account ₹ 34.72 lakh.	34,71,965	Medium
OBS-1854235	Inappropriate accounting of GST on transit fee ₹ 8.83 lakh.	8,82,709	Medium
OBS-1855738	अवैध खनन एवं परिवहन पर कम अर्थदण्ड आरोपित किया जाना ₹ 7.60 लाख	7,60,000	Medium
OBS-1864125	लैटाना उन्मूलन पर निष्फल व्यय- ₹67.44लाख	67,43,990	High
OBS-1864182	Irregular expenditure of ₹12.44 crore for hiring of outsourcing Staff/Labour against the directives/policy of the State Government.	12,43,88,144	High
OBS-1864664	प्रभागीय अतिक्रमित भूमि 594.5 हे० को खाली न कराया जाना।	0	Medium
OBS-	आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावकारिता की जांच में पायी गयी	0	Medium

FV- 125200	Director Corbet Tiger Reserve Ramnagar	1864725	कामियाँ			
		OBS- 1884448	आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावकारिता।		0	Medium
		OBS- 1892168	फाउंडेशन के लेखे, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नामिकात तथा शासी निकाय द्वारा नामित योग्य चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा लेखापरीक्षा		0	Medium
		OBS- 1894409	लैटाना उन्मूलन पर निष्फल व्यय ₹ 109.52 लाख।	1,09,52,000		Medium
		OBS- 1894805	गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस, जेम GeM व्यवस्था लागू न किया जाना	10,40,000		Medium
		OBS- 1884448	आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावकारिता।		0	Medium
		OBS- 1892168	फाउंडेशन के लेखे, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नामिकात तथा शासी निकाय द्वारा नामित योग्य चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा लेखापरीक्षा		0	Medium
		OBS- 1894409	लैटाना उन्मूलन पर निष्फल व्यय ₹ 109.52 लाख।	1,09,52,000		Medium
		OBS- 1894805	गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस, जेम GeM व्यवस्था लागू न किया जाना	10,40,000		Medium

परिशिष्ट-17 (क)
 वित्तीय वर्ष 2024-25 में वन विभाग की लेखा परीक्षा के दौरान लेखाओं में पायी गयी महत्वपूर्ण वित्तीय अनियमितताएँ
 (भाग द्वितीय)

FV ID	NAME OF AUDITEE	OBS NUMBER	OBSERVATION	AMOUNT	MATERIALITY
FV-104583	DFO Narendra Nagar Forest Division Narendra Nagar	OBS-1665925	प्रस्तर-1- लीसा विक्री नीति के विपरीत लीसा विक्री के परिणामस्वरूप रु.676.47 लाख की राजस्व की हानि प्रस्तर-2- रु 6.83 करोड़ का लीज प्रीमियम एवं लीज रेंट पिटकूल से न लिया जाना। प्रस्तर-3- जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत कट्टखाल से सुरकण्डा देवी रज्जू मार्ग (रोप वे) के निर्माण के सम्बंध में प्रस्तर-4- Parking of fund amounting to Rs.14.84 lakh under UFRMP.	67646752 68310020 0 1484094	High High High High

			प्रस्तर-5- Difference in expenses amounting to Rs. 956.12 lakh in ERM component	95611825	High
			प्रस्तर-6 Non-achieving of financial targets under amounting to Rs.269.57 lakh under UFRMP.	26956918	High
			प्रस्तर-7 Unauthorized expenditure of Rs. 25.19 lakh	2519091	High
			प्रस्तर-8 Contradiction in data of UFRMP and DMU under ERM component	0	High
			प्रस्तर-9- उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली के विरुद्ध रुपए 48.28 लाख के कार्य बिना निविदा आमंत्रित किए कराया जाना।	4828451	High
FV-94365	DFO Civil Soim Forest Division Pauri	OBS-1418084	कैम्पा बजट से नमामि गंगे के वृक्षारोपण कार्यों पर ₹0 101.34 लाख का अनियमित व्यय किया जाना।	1,00,00,000	High
FV-99165	DFO Add Soil Conservation Division Ramnagar Nainital	OBS-1466759	बिना निविदा के ₹0 96.86 लाख के वानिकी कार्यों को किया जाना।	96,00,000	High
FV-106843	PCCF (HoFF)	OBS-1684070	Allowing of forest workings without Management and Working Plans	0	High
		OBS-1684092	Failure in providing timely compensation (ex-gratia) of	0	High

		Human-wildlife conflicts		
OBS-1684095	Unnecessary expenditure (₹14.11 crore) on construction of boundary wall for proposed Haldwani Zoo and Safari under PPP	14,13,00,000	High	
OBS-1684102	Hiring of outsourcing Staff/Labour against the directives/policy of the State Government and non-taking of action against the officers responsible	0	High	
OBS-1684119	Failure in ensuring compliance of the Uttarakhnad Procurement Rules for execution of works	0	High	
OBS-1684121	No action on the officers/employee responsible for execution of sub-standard/ below norms, forestry works	0	High	
OBS-1684131	Non-compliance of Government order and consequent directives of Hon'ble High Court for posting of Range Officers in Territorial Forest Ranges	0	High	

FV-108461	DFO Uttarkashi Division Uttarkashi	Forest	OBS-1693041	विभाग की अतिक्रमित भूमि पर कब्जे के लिये यथोचित कार्यवाही न किया जाना।	0	High
FV-108461	DFO Uttarkashi Division Uttarkashi	Forest	OBS-1693529	Devastating impacts on the ecology of Bhagirathi River and Bhairav Ghati due to negligence of Government.	7,37,56,80,000	High
FV-108461	DFO Uttarkashi Division Uttarkashi	Forest	OBS-1695173	लीसा विक्री नीति के विपरीत लीसा क्रेताओं को अदेय लाभ दिये जाने के परिणामस्वरूप रु. 2.34 करोड़ की राजस्व हानि।	2,33,71,000	High
FV-88396	Director Rajaji Tiger Reserve Dehradun	Tiger Reserve	OBS-1337731	लीज नवीनीकरण नहीं किए जाने कारण राजस्व (lease rent) के रूप में रु0 2.77 करोड़ की वसूली स्वामी सुखदेवानन्द ट्रस्ट परमार्थ गंगाधर (स्वर्गाश्रम)/प्रयोक्ता से नहीं लिया जाना और नवीनीकरण के बिना ही वन भूमि का उपयोग।	20,00,000	High
FV-88396	Director Rajaji Tiger Reserve Dehradun	Tiger Reserve	OBS-1339218	लीज धारको द्वारा 9.46876 हेक्टर भूमि पर नवीनीकरण न किए जाने के सम्बंध में।	0	High
FV-88396	Director Rajaji Tiger Reserve Dehradun	Tiger Reserve	OBS-1340139	वार्षिक प्रस्तावित कार्ययोजना के अनुरूप धनराशि व्यय न किया जाना रुपए 232.08 लाख।	2,32,08,000	High
FV-88396	Director Rajaji Tiger Reserve Dehradun	Tiger Reserve	OBS-1340468	Inadmissible expenditure of Rs 10.00 lakh through CAMPA fund.	10,00,000	High

FV-88396	Director Rajaji Tiger Reserve Dehradun	OBS-1344690	उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008, वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2012 तथा राजाजी टाइगर रिजर्व की प्रबन्ध योजना का उल्लंघन करते हुये गैडीखाता/पथरी गुर्जर बस्ती में बाथरूम/शौचालय व कैटल शेड के निर्माण में ₹0 9.45 करोड़ की वित्तीय अनियमितता।	9,00,00,000	High
FV-88396	Director Rajaji Tiger Reserve Dehradun	OBS-1344763	आउटसोर्स कार्मिकों का ई०पी०एफ० एवं ई०एस०आई० जमा न किये जाने के सम्बंध में।	0	High
FV-88396	Director Rajaji Tiger Reserve Dehradun	OBS-1354573	कार्यालय की उचित निगरानी और समीक्षा के अभाव में बाह्यश्रोत श्रमिक प्रदाता फ़र्म 'यूनिक सिक्युटी सर्विस' द्वारा कार्मिकों का ई०पी०एफ० और ई०एस०आई० की धनराशि जमा नहीं करने से कार्मिकों की आर्थिक हानि।	0	High
FV-88396	Director Rajaji Tiger Reserve Dehradun	OBS-1354639	उचित निगरानी और समीक्षा के अभाव में, बाह्य श्रमिक प्रदाता फ़र्म 'उज्वला श्रम सविदा सहकारी समिति' द्वारा कर्मचारियों का ई०पी०एफ०, ई०एस०आई० जमा नहीं करने से श्रमिकों को आर्थिक क्षति और फ़र्म द्वारा जीएसटी की धनराशि को जीएसटी विभाग में जमा नहीं किया जाना।	0	High

FV-111583	DFO Pithoragarh Division Pithoragarh	Forest	OBS-1711421	लीसा विक्री नीति के विपरीत लीसा क्रेताओं को अदेय लाभ दिये जाने के परिणामस्वरूप रु. 17.03 लाख की राजस्व हानि	17,00,000	High
FV-111583	DFO Pithoragarh Division Pithoragarh	Forest	OBS-1722401	दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए अग्रिम मूदा कार्य एवं पौधारोपण पर अनियमित व्यय रु. 6276529.00	62,76,529	High
FV-111583	DFO Pithoragarh Division Pithoragarh	Forest	OBS-1722407	Regarding discrepancies in expensed under ERM Component and others.	0	High
FV-112545	DFO Champawat Division Champawat	Forest	OBS-1740819	लीसा विक्री नीति के विपरीत लीसा क्रेताओं को अदेय लाभ दिये जाने के परिणामस्वरूप रु. 1.52 करोड़ की राजस्व हानि	1,52,05,568	High
FV-112545	DFO Champawat Division Champawat	Forest	OBS-1741446	धनराशि रु. 5.00 लाख का व्यावर्तन करते हुए डी.एम.यू. कार्यालय इमारत का विस्तारीकरण किया जाना तथा एफ.एम.यू. कार्यालयों द्वारा कार्यालय भवन के निर्माण न करने से रु.6.00 लाख का अवरोधना	11,00,000	High
FV-112545	DFO Champawat Division Champawat	Forest	OBS-1741484	उत्तराखण्ड वन संसाधन प्रबंधन परियोजना मद से वनाग्नि से सुरक्षा कार्यों पर रु.5.00 लाख का अमान्य व्यय	5,00,000	High
FV-112545	DFO Champawat Division Champawat	Forest	OBS-1741911	मानक से कम जीवित पौध पर निष्फल व्यय रु. 200262/- एवं मानक से कम	2,57,089	High

FV-112545	DFO Champawat Division Champawat	Forest	OBS-1741974	जीवित पौध पर धनराशि रु. 56827.00 के निष्फल व्यय	6,47,73,305	High
FV-112545	DFO Champawat Division Champawat	Forest	OBS-1742292	Non-furnishing of Utilization Certificates amounting to Rs. 647.73 lakh	5,05,352	High
FV-112545	DFO Champawat Division Champawat	Forest	OBS-1754935	Irregular expenditure of Rs. 5.05 lakh on NTFP Plantation.	1,27,28,670	High
FV-113454	DFO Mussoorie Division Mussoorie	Forest	OBS-1769141	क्लस्टर फेडरेशन पर रु 1.27 करोड़ का निष्फल व्यय	35,26,000	High
FV-113454	DFO Mussoorie Division Mussoorie	Forest	OBS-1769590	निविदादाताओं में हितों का टकराव (Conflict of Interest) का निविदा समिति द्वारा संज्ञान लिए बिना निविदा सम्पादन व कार्य आवंटन किया जाना	3,00,000	High
FV-113454	DFO Mussoorie Division Mussoorie	Forest	OBS-1769623	अवैध वित्तीय निविदा के आधार पर कार्य आवंटन किया जाना।	72,29,000	High
FV-113454	DFO Mussoorie Division Mussoorie	Forest	OBS-1770036	केम्पा योजना के अंतर्गत रु 72.29 लाख का विचलन (Diversion) किया जाना।	1,17,69,572	High
FV-113454	DFO Mussoorie Division Mussoorie	Forest	OBS-1770327	irregular and unauthorized expenditure of Rs.1,17,69,572 on outsourcing of manpower by DFO Mussoorie.	0	High
FV-113454	DFO Mussoorie Division Mussoorie	Forest	OBS-1770327	इकाई द्वारा वनानि से निपटने के उपार्गों व सामर्थ्य की समीक्षा के संबंध में		High

FV-113570	DFO Civil Soyam Almora Forest Division Almora	OBS-1761823	लीसा विक्री नीति के विपरीत लीसा क्रेताओं को अदेय लाभ दिये जाने के परिणामस्वरूप ₹.1.46 करोड़ राजस्व हानि।	1,45,77,168	High
FV-115231	DFO Rudraprayag Forest Division Rudraprayag	OBS-1781066	लीसा की विक्री शर्तों के अनुसार विक्रेय नहीं किया जाना।	21,85,814	High
FV-117514	DFO Garhwal Forest Division Pauri	OBS-1826632	नमूना माह के बीजक/प्रमाणक (voucher) की जांच में पायी गयी अनियमितताओं विषयक।	40,000	High
FV-117514	DFO Garhwal Forest Division Pauri	OBS-1826645	इकाई द्वारा वनाग्नि से निपटने के उपायों व सामर्थ्य की समीक्षा के संबंध में।	0	High
FV-117514	DFO Garhwal Forest Division Pauri	OBS-1826740	Unnecessary retention of ₹5.09 crore in Forest Deposit	5,09,00,000	High
FV-117514	DFO Garhwal Forest Division Pauri	OBS-1826774	Irregular commencement/execution of works of ₹2.05 crore with avoidable expenditure of ₹9.53 lakh	2,14,53,000	High
FV-117514	DFO Garhwal Forest Division Pauri	OBS-1826808	Irregular expenditure of ₹4.476 crore for hiring of outsourcing Staff/Labour against the directives/policy of the State Government and non-taking of	4,47,58,937	High

				action against the officers responsible		
FV-117514	DFO Garhwal Forest Division Pauri	OBS-1826908		Non-ensuring compliance of Uttarakhand Procurement Rules for execution of works costing ₹1.94 crore	1,94,24,000	High
FV-117514	DFO Garhwal Forest Division Pauri	OBS-1827765		₹ 1.13 करोड़ के राजस्व क्षति के विविध प्रकार	1,13,00,000	High
FV-119920	DFO Dehradun Forest Division Dehradun	OBS-1853828		कार्य को टुकड़ों में कराये जाने के कारण ₹ 188.45 लाख का अनियमित व्यय	1,88,45,277	High
FV-119920	DFO Dehradun Forest Division Dehradun	OBS-1864125		लेटना उन्मूलन पर लिफ्टल व्यय- ₹67.44लाख	67,43,990	High
FV-119920	DFO Dehradun Forest Division Dehradun	OBS-1864182		Irregular expenditure of ₹12.44 crore for hiring of outsourcing Staff/Labour against the directives/policy of the State Government.	12,43,88,144	High
FV-120127	DFO Nainital Forest Division Nainital	OBS-1847854		नमूना माह के बीजक/प्रमाणक (voucher) की जांच में पायी गयी अनियमिततायें	7,93,972	High
FV-120127	DFO Nainital Forest Division Nainital	OBS-1849059		Irregular award of construction works (without Administrative & Financial sanction of State Government) costing to ₹2.50	2,50,00,000	High

FV-120127	DFO Nainital Forest Division Nainital	OBS-1849101	Unnecessary retention of ₹20.78 crore in Forest Deposit	20,78,00,000	High
FV-120127	DFO Nainital Forest Division Nainital	OBS-1849124	Irregular expenditure of ₹4.17 crore for hiring of outsourcing Staff/Labour against the directives/policy of the State Government and non-taking of action against the officers responsible	4,17,00,000	High
		OBS-1849141	Non-ensuring compliance of Uttarakhand Procurement Rules for execution of works costing ₹12.71 crore	12,71,00,000	High
		OBS-1853895	लीसा बिक्री नीति के अनुरूप लीसे के मूल्य को प्राप्त न किए जाने के परिणामस्वरूप राजस्व हानि ₹ 2.12 करोड़	2,12,59,837	High
		OBS-1853906	लीसा के विक्रय पर नियमानुसार स्टाम्प शुल्क न वसूल किए जाने के कारण राजस्व क्षति ₹ 6.80 लाख	6,80,750	High
		OBS-1853912	विकास कार्यों हेतु किए गए पातन के वृक्षों	25,60,822	High

		के प्रकाष्ठ 645.41 घन मी० की रॉयल्टी ₹	
		25.61 लाख वसूल न किया जाना	

परीशिष्ट-17 (ख)

वित्तीय वर्ष 2024-25 में वन विभाग की लेखा परीक्षा के दौरान लेखाओं में पायी गयी महत्वपूर्ण वित्तीय अनियमितताएँ

Sr No.	Ref No	Subject	Status	Amount	Materiality
1	OBS-1825464	वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखंड मेट्रो रेल, शहरी अवस्थापना एवं भवन निर्माण निगम को प्रत्यावर्तन की गई भूमि के संबंध में ₹ 8.46 लाख कम जमा कराया जाना।	Open (IR issued)	8,45,640	Medium
2	OBS-1825681	Delay in deposit of revenue receipts into the Government account ₹ 23.36 lakh.	Open (IR issued)	23,35,855	Medium
3	OBS-1825725	अवैध खनन एवं परिवहन पर कम अर्थदण्ड आरोपित किया जाने से राजस्व क्षति ₹ 11.04 लाख।	Open (IR issued)	11,04,000	Medium
4	OBS-1825751	वन जमा धनराशि का पुनवैध नहीं किया जाना ₹ 21.69 लाख।	Open (IR issued)	21,68,811	Medium
5	OBS-1827037	कार्य योजना समयानुसार न तैयार किए जाने के कारण लक्ष्य के सापेक्ष कम राजस्व की प्राप्ति ₹ 13.56 करोड़।	Open (IR issued)	13,55,77,777	Medium
6	OBS-1827096	पौध तैयार करने पर निष्फल व्यय ₹ 32.09 लाख।	Open (IR issued)	32,09,375	Medium
7	OBS-1828929	उत्तराखंड वन विकास निगम से विकास कार्यों से संबन्धित लाटों की रायल्टी न लिया जाना ₹ 30.84 लाख।	Open (IR issued)	30,84,092	High
8	OBS-1833090	Irregular expenditure of ₹3.54 crore for hiring of outsourcing Staff/Labour against the directives/policy of the State Government.	Open (IR issued)	3,53,66,225	High

9	OBS-1833148	lease rent of ₹622410/- not deposited.	Open (IR issued)	6,22,410	Medium
10	OBS-1833206	लैन्डाना उन्मूलन पर निष्फल व्यय ₹47.26 लाख	Open (IR issued)	47,26,232	High
11	OBS-1835206	प्रभागीय अतिक्रमिit भूमि 49.81 हे० को खाली न कराया जाना।	Open (IR issued)	0	High
12	OBS-1835311	आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावकारिता की जांच में पायी गयी कमियाँ।	Open (IR issued)	0	Medium
13	OBS-1836018	विभागीय GSTIN की आवधिक विवरणी (GSTR-7) GST Portal पर Upload न किया जाना।	Open (IR issued)	0	Medium

परीशिष्ट-17 (ग)
 वित्तीय वर्ष 2024-25 में वन विभाग की लेखा परीक्षा के दौरान लेखाओं में पायी गयी ंमहत्वपूर्ण वित्तीय अनियमितताएँ

SN	FV	OBS	DETAILS	AMOUNT	CAT
1.	FV-111885	OBS-1755486	₹ 43.14 लाख का अतिरिक्त भुगतान।	0	High
2.	FV-111887	OBS-1764767	₹ 60.40 लाख का अतिरिक्त भुगतान।	6040178	High